VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

Classroom Study Material

www.visionias.in | +91 8468022022 | DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD

विषय सूची

1. भारत और इसके पड़ोसी....4

1.1. भारत-पाकिस्तान....4
1.2. भारत - चीन....4
1.3. भारत-नेपाल....5
1.4. भारत-बांग्लादेश....5
1.4.1. संयुक्त व्याख्यात्मक नोट....5
1.4.2. एकीकृत चेक पोस्ट....6
1.4.3. इंडिया-बांग्लादेश इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड प्रोटोकॉल....6
1.4.4 सीमा सुरक्षा ग्रिड....7
1.5. भारत-म्यांमार....7
1.6. भारत-श्रीलंका....8
1.7. भारत-अफगानिस्तान....9
1.8 भारत- मालदीव....9
1.9. SASEC रोड कनेक्टिविटी....10
1.10. हिंद महासागर क्षेत्र....11

2. भारत और पश्चिमी एशिया....13

2.1. भारत-संयुक्त अरब अमीरात....13
2.2. भारत-ईरान....13
2.3. भारत-इज़राइल सम्बन्ध....15
2.4. भारत- फिलिस्तीन....16

3. भारत और दक्षिण-पूर्व/ पूर्वी एशिया....18

3.1. आसियान....18
3.1.1. भारत-आसियान....18
3.1.2. एक्सपैंडेड आसियान मैरीटाइम फोरम (EAMF)....20
3.2. भारत तथा जापान....20
3.2.1. एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर....21
3.3. भारत-फिलीपींस....21
3.4. भारत-दक्षिण कोरिया....22
3.5. मेकांग-गंगा सहयोग (MGC)....22

4. यूरोपीय संघ....23

4.1. भारत-यूरोपीय संघ....23
4.1.1. यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक....24
4.1.2. इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन मैकेनिज्म....25
4.2. परमानेंट स्ट्रक्चर्ड को-ऑपरेशन ऑन डिफेन्स....25

VISION IAS

5. अमेरिका 27

5.1. भारत - अमेरिका 27
5.2. अमेरिका वैश्विक प्रवसन समझौते से अलग हुआ 28
5.3. अमेरिका ने यूनेस्को की सदस्यता छोड़ी 28
5.4 अमेरिका की नयी अफ़गान नीति 29
5.5. अमेरिका की विशेष निगरानी सूची 29
5.6. अमेरिका की नई सुरक्षा रणनीति 30

6.अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं संस्थाएँ 31

6.1. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार 31
6.1.1. संयुक्त राष्ट्र की संरचना 31
6.2. संयुक्त राष्ट्र भागीदारी निधि 32
6.3. UN-हैबिटेट 33
6.4. शंघाई सहयोग संगठन (SCO) 34
6.5. ब्रिक्स 34
6.5.1. BRICS मेकेनिज्म के तहत एक्ज़िम बैंक द्वारा हस्ताक्षरित समझौते 35
6.6.मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम 36
6.7. हेग कोड ऑफ़ कंडक्ट 38
6.8. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश का पुनर्निर्वाचन 38
6.9. अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन 39
6.10. अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक 40

7. अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम 42

7.1. क्वाड्रीलैटरल बैठक 42
7.2. भारत एवं प्रशांत महासागरीय द्वीपसमूह के मध्य संधारणीय विकास पर सम्मेलन 42
7.3. परमाणु हथियार निषेध संधि 43
7.4. ईरान परमाणु समझौता 43
7.5. कजाखस्तान में यूरेनियम बैंक 44
7.6. वित्तीय कार्यवाही कार्यबल (FATF) निगरानी-सूची 44
7.7. पोलर सिल्क रोड 45
7.8. तापी गैस पाईपलाइन 46
7.9. रोहिंग्या मुद्दा 47
7.10. कुर्दिश स्वतंत्रता के लिए जनमत संग्रह 47
7.11. कैटालोनिया की स्वतंत्रता के लिए जनमत संग्रह 48
7.12. फिलिस्तीन इंटरपोल का सदस्य बना 48
7.13. आतंकवाद से संघर्ष हेतु इस्लामी गठबंधन 49
7.14. UAE और सऊदी अरब द्वारा नए समूह का गठन 49
7.15. सैन्य अभ्यास 50

8. बहुपक्षीय व्यापार 52

VISION IAS

8.1. क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी 52

8.2. वन बेल्ट वन रोड (OBOR) समिट 52

8.3. बिम्सटेक के 20 वर्ष 53

8.3.1 बिम्सटेक ड्राफ्ट कोस्टल शिपिंग एग्रीमेंट 53

8.4. G-20 54

8.5. ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप-11 54

8.6. एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक 54

8.7. न्यू डेवलपमेंट बैंक 55

8.8 मर्कोसुर 56

8.9 इब्सा (IBSA) 57

8.10. ईस्टर्न इकॉनोमिक फोरम 58

9. विविध 59

9.1. भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग 59

9.2. भारत का सॉफ्ट पावर 59

9.3. भारतीय डायस्पोरा की संख्या विश्व में सर्वाधिक 60

9.4. भारतीय समुदाय कल्याण कोष 61

9.5. प्रवासी सांसद सम्मेलन 62

9.6. समीप 62

9.7. रायसीना डायलॉग 63

9.8. शांगरी-ला वार्ता 63

9.9.ग्लोबल कमीशन ऑन द फ्यूचर ऑफ़ वर्क 63

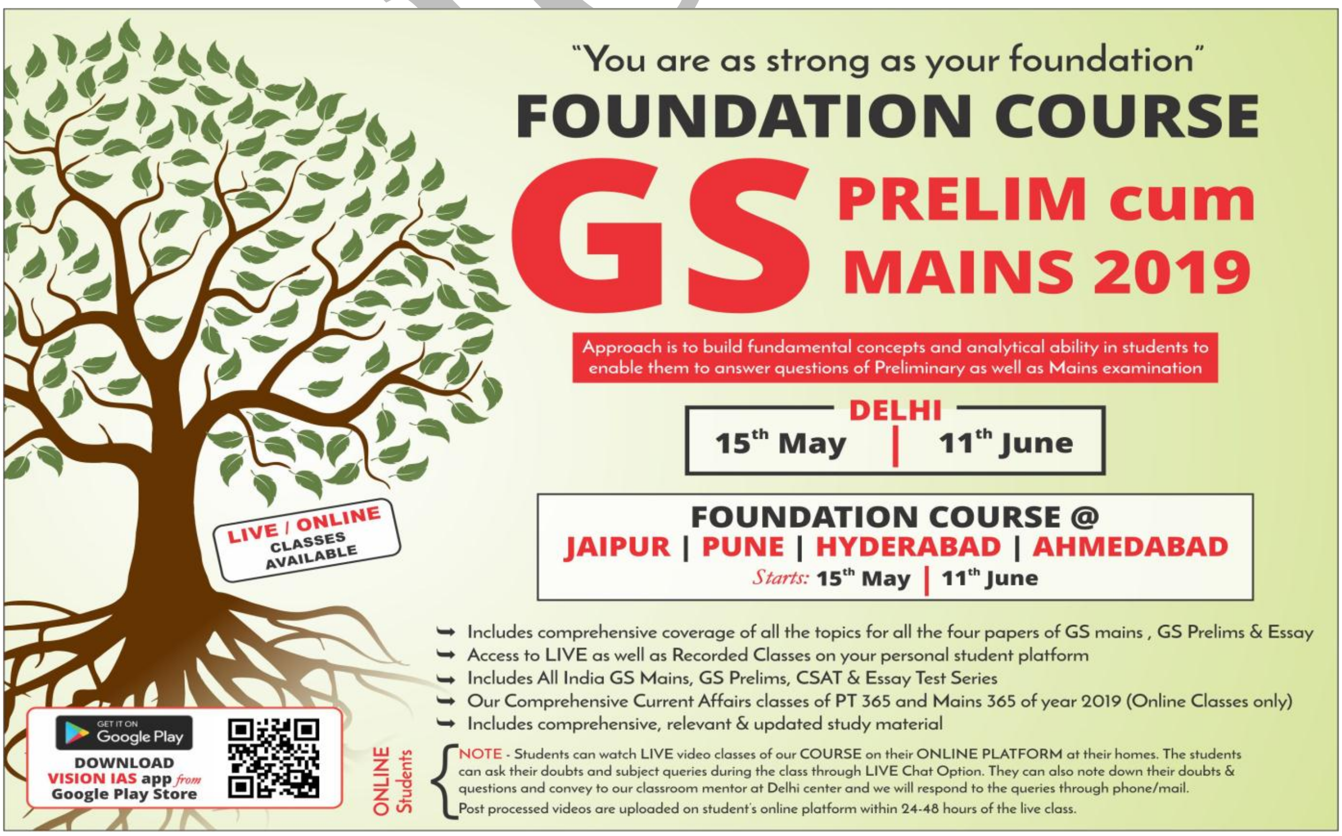

1. भारत और इसके पड़ोसी

(India and it's Neighbours)

1.1. भारत-पाकिस्तान

(India-Pakistan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice: ICJ) ने अंतिम निर्णय देने तक कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी सैन्य न्यायालय द्वारा जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई गयी थी। (ICJ व ICC के बारे में विस्तृत विवरण आगे दिया गया है)

विवरण

- न्यायालय ने कहा कि विएना कन्वेंशन के अनुसार भारत को कुलभूषण जाधव तक राजनयिक पहुँच प्रदान की जानी चाहिए थी।

वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशन्स, 1963

- यह स्वतंत्र राष्ट्रों के मध्य कॉन्सुलर संबंधों हेतु निर्मित दिशा-निर्देशों को परिभाषित करता है।
- एक कान्सल (consul) सामान्यत: किसी अन्य देश में स्थित दूतावास से अलग कार्य करता है तथा यह मुख्यतः दो कार्य निष्पादित करता है: (1) अपने देश व इसके नागरिकों के हितों की सुरक्षा करना एवं (2) दो देशों के बीच वाणिज्यिक और आर्थिक संबंधों को प्रोत्साहन देना।
- उन्हें अधिकांशतः समान विशेषाधिकार प्रदान किए जाते हैं, जिनमें डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का ही एक अन्य रूप कॉन्सुलर इम्यूनिटी भी सम्मिलित है। हालांकि कॉन्सुलर इम्यूनिटी के तहत प्रदत्त संरक्षण डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी से समान व्यापक नहीं होते हैं।

संबंधित तथ्य - वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन्स, 1961

- यह 1961 की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जो स्वतंत्र देशों के मध्य **राजनयिक संबंधों के लिए एक फ्रेमवर्क** प्रदान करती है।
- यह किसी **राजनयिक मिशन के विशेषाधिकारों का उल्लेख** करती है, जिससे राजनयिक, मेजबान देश के दबाव अथवा उत्पीड़न से भयरहित होकर अपने कार्य को निष्पादित कर सकें। यह डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का कानूनी आधार निर्मित करती है।
- भारत उपर्युक्त दोनों कन्वेंशन का एक पक्षकार है।

1.2. भारत - चीन

(India-China)

सुर्ख़ियों में क्यों?

डोकलाम गतिरोध को पीछे छोड़ते हुए, भारत और चीन अपने संबंधों को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं।

- यह **प्रथम घटना है, जब भारत ने भूटान के प्रादेशिक हितों की रक्षा के लिए सेना का उपयोग** किया है।

डोकलाम के बारे में

भूटान के सीमा क्षेत्र में स्थित 269 वर्ग कि.मी. का डोकलाम पठार सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हालांकि बीजिंग इस क्षेत्र पर 1980 से अपना दावा प्रस्तुत

VISION IAS

करता रहा है।

- यह उत्तर में **तिब्बत की चुम्बी घाटी**, पूर्व में **भूटान की हा घाटी** तथा पश्चिम में भारत के सिक्किम राज्य के मध्य अवस्थित एक पठार और एक घाटी वाला क्षेत्र है।

भारत-चीन सीमा के पास स्थित महत्वपूर्ण दर्रे (पश्चिम से पूर्व)

जम्मू व कश्मीर – अगहिल दर्रा, चांग ला

हिमाचल प्रदेश – शिपकी ला

उत्तराखंड – थांग ला, नीति दर्रा, लिपु लेख

सिक्किम – नाथू ला, जेलेप ला

अरुणाचल प्रदेश – बुम ला, दिफू दर्रा

1.3. भारत-नेपाल

(India-Nepal)

सुर्ख़ियों में क्यों?

1950 की भारत-नेपाल मैत्री संधि की समीक्षा की माँग की जा रही है।

भारत-नेपाल मैत्री संधि

यह निम्नलिखित का प्रावधान करती है-

- दोनों देशों के मध्य खुली सीमा।
- नेपाली नागरिकों को भारत में बिना वर्क परमिट के कार्य करने, सरकारी नौकरियों व सिविल सेवाओं (IFS, IAS व IPS के अतिरिक्त) हेतु आवेदन करने की अनुमति।
- बैंक खाते खोलने व संपति क्रय करने की अनुमति।

भारत ने सद्भावना का परिचय देते हुए पारस्परिकता के सिद्धांत के तहत प्राप्त होने वाले अपने अधिकारों पर दावा छोड़ दिया था।

1.4. भारत-बांग्लादेश

(India-Bangladesh)

1.4.1. संयुक्त व्याख्यात्मक नोट

(Joint Interpretive Notes)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बांग्लादेश के बीच निवेश के संवर्द्धन एवं संरक्षण पर **संयुक्त व्याख्यात्मक नोट (JIN)** को अपनी मंजूरी दी।

संबंधित तथ्य

ऑपरेशन इंसानियत: विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में म्यांमार से अत्यधिक संख्या में आने वाले रोहिंग्या शरणार्थियों के कारण उत्पन्न मानवीय संकट का सामना करने हेतु सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन इंसानियत प्रारम्भ किया है।

JIN का महत्व

- JIN निवेशों के संवर्द्धन एवं संरक्षण हेतु भारत और बांग्लादेश के मध्य विद्यमान समझौते की **व्याख्या के संबंध में स्पष्टता प्रदान करेगा**।

VISION IAS

1.4.2. एकीकृत चेक पोस्ट

(Integrated Check Posts)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, भारत और बांग्लादेश **पेट्रापोल-बेनापोल एकीकृत चेक पोस्ट** के संचालन के लिए सहमत हुए हैं।
- स्थल सीमा के प्रवेश बिंदुओं के माध्यम से होने वाले व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2011 में **लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (LPAI)** नामक एक अलग निकाय का गठन किया गया था।

एकीकृत चेक पोस्ट

यह विघटनकारी तत्वों के विरुद्ध देश की सीमाओं को सुरक्षित करने वाले तंत्रों की स्थापना करने में सहायता करता है। यह व्यापार एवं वाणिज्य को सुगम बनाता है तथा राजस्व में वृद्धि करता है।

- पाँच एकीकृत चेक पोस्ट— पंजाब के अटारी क्षेत्र में (पाकिस्तानी सीमा), पं. बंगाल में पेट्रापोल (बांग्लादेश सीमा), त्रिपुरा में अखौरा (बांग्लादेश सीमा), बिहार में रक्सौल (नेपाल सीमा) तथा बिहार में जोगबनी (नेपाल सीमा) — पहले से क्रियाशील हैं।

पेट्रापोल-बेनापोल एकीकृत चेक पोस्ट के बारे में

- भारत-बांग्लादेश व्यापार का लगभग 60 प्रतिशत पेट्रापोल-बेनापोल एकीकृत चेक पोस्ट (जो एशिया का सबसे बड़ा लैंड कस्टम्स स्टेशन है) के माध्यम से संचालित होता है।

अन्य संबंधित तथ्य

लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (LPAI)

- इसकी स्थापना एक **सांविधिक निकाय** के रूप में **लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया एक्ट, 2010** के अंतर्गत की गई थी। इसका प्रशासनिक नियंत्रण गृह मंत्रालय के अंतर्गत सीमा प्रबंधन विभाग द्वारा किया जाता है।
- इसे एकीकृत चेक पोस्ट्स (ICPs) की योजना, विकास, निर्माण, प्रबंधन और उनके रख-रखाव का अधिदेश प्रदान किया गया है।

1.4.3. इंडिया-बांग्लादेश इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड प्रोटोकॉल

(Indo-Bangladesh Inland Water Transit and Trade Protocol- IWTTP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रोटोकॉल के एक भाग के रूप में, वस्तुओं का एक भारतीय कन्साइनमेंट आधिकारिक रूप से बांग्लादेश के अंतर्देशीय जलमार्गों के रास्ते से त्रिपुरा पहुँचा।

IWTTP के बारे में

- 2016 में, भारत और बांग्लादेश के मध्य प्रोटोकॉल (1972 में हस्ताक्षरित) को IWTTP के रूप में संशोधित और विस्तारित किया गया था।
- इसका उद्देश्य दोनों देशों के मध्य स्वतंत्रता पूर्व की नदी परिवहन प्रणाली को पुनर्जीवित करना है।
- इस प्रोटोकॉल के तहत भारत, पूर्वोत्तर राज्यों से वस्तुओं के सुगम आवागमन की सुविधा हेतु **आशुगंज बंदरगाह (बांग्लादेश में मेघना नदी पर) तथा अखौरा चेकपोस्ट (अगरतला)** में अवसंरचना (बंदरगाह, सड़क और रेल) के निर्माण के लिए निवेश करेगा।
- **कोलकाता-आशुगंज-त्रिपुरा** मार्ग ने सिलीगुड़ी के 'चिकन नेक' से होकर असम और मेघालय के रास्ते से होकर तय की जाने वाली कोलकाता-अगरतला की 1,600 कि.मी. दूरी को घटाकर 500 कि.मी. कर दिया है।
- संशोधित प्रोटोकॉल भारत और बांग्लादेश को किसी तीसरे देश में वस्तुओं के पारगमन (ट्रांजिट) हेतु एक-दूसरे के क्षेत्रों को प्रयोग करने का अधिकार भी प्रदान करता है।

VISION IAS

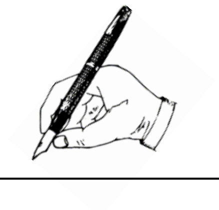

1.4.4 सीमा सुरक्षा ग्रिड

(Border Protection Grid)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार द्वारा भारत-बांग्लादेश की सीमा पर स्थित भारतीय राज्यों के लिए सीमा सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की गयी है।

विवरण

- इस ग्रिड में भौतिक अवरोध, गैर-भौतिक अवरोध, निगरानी प्रणाली, खुफिया एजेंसियाँ, राज्य पुलिस बल तथा सीमा सुरक्षा बल सम्मिलित होंगे।
- भारत-बांग्लादेश सीमा की लम्बाई 4,096 कि.मी. है। परन्तु अभी तक मात्र 3,006 कि.मी. सीमा को सुरक्षात्मक बाड़बंदी, सड़कों, फ्लडलाइट्स और सीमावर्ती पोस्टों (BOP) जैसी सीमा सुरक्षा अवसंरचनाओं से संरक्षित किया गया है।
- शेष 1,090 कि.मी. लम्बी सुरक्षा-रहित सीमा में;
    - 684 कि.मी. लम्बी सीमा को बाड़बंदी तथा संबंधित अवसंरचना के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
    - शेष 406 कि.मी. लम्बी सीमा नदियों आदि से युक्त है। इसकी सुरक्षा हेतु रडार, डे-नाइट कैमरा, सेंसर इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के संयोजन को एक कमान एवं नियंत्रण संरचना के तहत एकीकृत किया जाएगा।

संबंधित तथ्य

- **बांग्लादेश के साथ सीमा -** पश्चिम बंगाल 2,217 कि.मी., असम 262 कि.मी., मेघालय 443 कि.मी., त्रिपुरा 856 कि.मी. और मिजोरम 180 कि.मी. लम्बी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा को बांग्लादेश के साथ साझा करते हैं।
- हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारी भूमि सीमाओं की लंबाई – बांग्लादेश (4096 कि.मी.), चीन (3488 कि.मी.), पाकिस्तान (3233 कि.मी.), नेपाल (1751 कि.मी.), म्यांमार (1643 कि.मी.), भूटान (699 कि.मी.) और अफगानिस्तान (106 कि.मी.)।

1.5. भारत-म्यांमार

(India-Myanmar)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार ने भारत और म्यांमार के मध्य स्थलीय मार्ग से सीमा पार करने (Land Border Crossing) संबंधी समझौते को स्वीकृति प्रदान की है। दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले आम लोगों को मुक्त आवागमन अधिकार (मुक्त आवागमन व्यवस्था के अंतर्गत) पहले से ही प्राप्त हैं।

मुक्त आवागमन व्यवस्था (फ्री मूवमेंट रिजीम)

- जनजातीय समुदाय (विशेषकर नागा, सिंहपो, कुकी, मिजो इत्यादि) दावा करते हैं कि भारत और म्यांमार के मध्य मौजूद सीमा उनके आवास क्षेत्र की पारंपरिक सीमाओं से असंगत है। अभी भी इन जनजातियों का अपने स्वजनों एवं रिश्तेदारों के साथ सीमापारीय संपर्क बना हुआ है।
- इस प्रकार, यह व्यवस्था भारत-म्यांमार सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय लोगों के मन से असुरक्षा की भावना को समाप्त करने हेतु की गई है।
- यह व्यवस्था सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय लोगों को 16 किमी. की दूरी तक बिना वीजा के यात्रा करने की अनुमति प्रदान करती है।

VISION IAS

- जहाँ भारत म्यांमार के नागरिकों को बिना वीजा के 72 घंटों तक भारत में ठहरने की अनुमति प्रदान करता है, वहीं म्यांमार द्वारा केवल 24 घंटों तक ठहरने (भारतीयों को) की अनुमति दी गयी है।

अन्य सम्बंधित तथ्य

- भारत, म्यांमार में चार प्रमुख संपर्क परियोजनाओं का विकास कर रहा है:
  - **कलादान मल्टी-मोडल कॉरिडोर**
  - **तामू-कियगोन-कलेवा सड़क खंड** पर 69 पुलों की मरम्मत
  - 120 किलोमीटर के **कलेवा-यार्गी गलियारे** का निर्माण। यह गलियारा **भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग** का हिस्सा है।
  - मिजोरम के सीमावर्ती राज्य चिन में **री-टिडिम** सड़क परियोजना।
- इसके अतिरिक्त, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में एक प्रमुख **बागान पैगोडा, आनंद मंदिर** के पुनर्निर्माण का कार्य किया है।

1.6. भारत-श्रीलंका

(India-Sri Lanka)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलंबो में आयोजित होने वाले **यूएन वेसक दिवस** (UN Vesak day) समारोह में भाग लेने के लिए श्रीलंका का दौरा किया।

वेसक क्या है?

वेसक (सिंहली), श्रीलंका के पारंपरिक चंद्र कैलेंडर (लूनर कैलेंडर) में दूसरे महीने के लिए उपयोग किया जाने वाला नाम है। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर (सोलर कैलेंडर) के मई महीने के समकक्ष है।

भारत और श्रीलंका के मध्य आर्थिक संबंध

- **वाणिज्यिक संबंध-** श्रीलंका सार्क (SAARC) में भारत के सबसे बड़े व्यापारिक सहयोगियों में से एक है।
- **मार्च 2000 में भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते** के प्रभावी होने के बाद से दोनों देशों के मध्य व्यापार तीव्रता से बढ़ा है।
- **हालिया विकास क्रम-** श्रीलंका ने हाल ही में भारत को श्रीलंका के उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित **त्रिंकोमाली बंदरगाह** (ऑयल टैंक्स फार्म) को संयुक्त रूप से विकसित करने की अनुमति प्रदान की है।
  - श्रीलंका ने पेट्रोनेट LNG को अपने देश में **लिक्विड गैस इम्पोर्ट टर्मिनल** स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है। इससे श्रीलंका को गैस क्षेत्र के प्रसार में सहायता प्राप्त होगी। गैस भावी आर्थिक वृद्धि के लिए एक प्रमुख ईंधन है।
  - श्रीलंका ने **हम्बनटोटा में 1,200 आवास** बनाने के लिए भारत के साथ समझौता किया है।
  - भारत ने भी हम्बनटोटा में **मत्ताला हवाईअड्डे** को लीज पर लेने और उसके प्रबंधन के लिए बोली लगाई है।

चीन संबंधी कारक

- श्रीलंका ने अपने ऋण चुकाने के लिए अपने दक्षिणी बंदरगाह हम्बनटोटा को 99-वर्ष के पट्टे (लीज) पर चीन को सौंप दिया है।
- नए समझौते के अनुसार, केवल **श्रीलंकाई नौसेना इस डीप-सी पोर्ट की सुरक्षा हेतु उत्तरदायी** होगी तथा इस बंदरगाह पर किसी अन्य विदेशी नौसेना को बेस (अड्डा) बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

हम्बनटोटा बंदरगाह का महत्व

- **हम्बनटोटा बंदरगाह**, हिंद महासागर में मध्यपूर्व व पूर्वी एशिया को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण ऊर्जा आपूर्ति लाइनों के बिल्कुल मध्य में अवस्थित है।
- हम्बनटोटा बंदरगाह चीन के **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव** का भाग है।

VISION IAS

1.7. भारत-अफगानिस्तान

(India-Afghanistan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में भारत और अफगानिस्तान द्वारा एक ***'डेडिकेटेड एयर फ्रेट कॉरिडोर सर्विस'*** का उद्घाटन किया गया है।

भारत द्वारा अफगानिस्तान में आरम्भ की गई पहलें

दोनों देशों के मध्य **रणनीतिक भागीदारी समझौता (SPA)** अफगानिस्तान की अवसंरचना एवं संस्थानों के पुनर्निमाण हेतु सहायता का प्रावधान करता है। भारत अफगानिस्तान को सहायता देने वाले देशों में अग्रणी है तथा अन्य क्षेत्रीय राष्ट्रों की तुलना में अब तक का सबसे बड़ा सहयोगकर्ता रहा है। भारत द्वारा आरंभ की गई विभिन्न विकास परियोजनाएं हैं -

- सलमा बाँध
- अफगानिस्तान का नया संसद भवन
- दोशी और चारिकर उपस्टेशन, आदि।

- यह पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से गुज़रता है और अफगानिस्तान (स्थल-रुद्ध देश) को भारत के बाजारों तक व्यापक पहुँच प्रदान करता है।

अफगानिस्तान तक पहुँच

भारत; अफगानिस्तान के साथ मिलकर **इस स्थल अवरुद्ध देश के लिए वैकल्पिक और विश्वसनीय संपर्क मार्गों के निर्माण के लिए कार्य** कर रहा है।

- इस संदर्भ में, जनवरी 2015 में, भारत ने अफगानिस्तान के माल को उतारने और भारतीय माल को लादने के लिए अफगान ट्रकों को **अटारी स्थलीय चेकपोस्ट** के जरिए भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देने के अपने निर्णय की घोषणा की।
- भारत **चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए अफगानिस्तान और ईरान के साथ सहयोग** कर रहा है। इस संदर्भ में, मई 2016 में तेहरान में तीनों देशों के नेताओं की उपस्थिति में चाबहार के माध्यम से समुद्री पहुँच के लिये एक **त्रिपक्षीय परिवहन और पारगमन समझौते** पर हस्ताक्षर किए गए।

1.8 भारत- मालदीव

(India-Maldives)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, मालदीव के राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की गयी।

भारत-मालदीव संबंध

- 1966 में ब्रिटिश शासन से मालदीव की स्वतंत्रता के पश्चात् भारत ने मालदीव के साथ **औपचारिक राजनयिक संबंध** स्थापित किए।
- 1988 में मालदीव में **लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम** (LTTE) समर्थक विद्रोही समूह द्वारा तख्तापलट का प्रयास किया गया। **भारत** ने इस सशस्त्र विद्रोह को समाप्त करने के लिए, ऑपरेशन कैक्टस के तहत, 1600 सैनिकों की एक सैन्य टुकड़ी भेजकर मालदीव को **सैन्य सहायता प्रदान की** थी।
- दो हेलिकॉप्टर बेस, रडारों के एकीकरण और मालदीव के तट पर भारतीय तटरक्षक निगरानी के माध्यम से भारत के मालदीव के साथ **घनिष्ठ सैन्य संबंध** हैं। भारत का लक्ष्य मालदीव के लिए एक विशुद्ध सुरक्षा प्रदाता की भूमिका में बने रहने का भी है।

VISION IAS

समकालीन स्थिति

- लोकतांत्रिक संस्थानों का पतन किया जा रहा है, जिससे वर्तमान स्थिति अत्यधिक गंभीर हो गयी है। इस स्थिति में, भारत सरकार के लिए मालदीव के साथ बेहतर संबंध हेतु वार्ता करना कठिन हो गया है। यह मालदीव में भारतीय हस्तक्षेप की आवश्यकता पर बल देता है।
- किंतु, भारत के ऑपरेशन कैक्टस के दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया था, जबकि वर्तमान मामले में हस्तक्षेप की मांग विपक्षी दलों द्वारा की जा रही है। वर्तमान स्थिति संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2 के तहत '**रिस्पांसिबिलिटी टू प्रोटेक्ट'** सिद्धांत और भारत की अन्य संप्रभु राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में गैर-हस्तक्षेप की पारंपरिक नीति के तहत निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं करती है।

रिस्पांसिबिलिटी टू प्रोटेक्ट

- यह एक वैश्विक राजनीतिक प्रतिबद्धता है, जिसका समर्थन वर्ल्ड समिट, 2005 में किया गया था।
- सभी सदस्य देशों ने औपचारिक रूप से प्रत्येक देश की जनसंख्या को नरसंहार, युद्ध अपराध, जाति संहार और मानवता के विरुद्ध अपराधों से बचाने हेतु उत्तरदायित्व स्वीकार किया था।
- इस समिट में, विश्व के राजनेताओं ने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की थी कि जब भी कोई देश इस उत्तरदायित्व को पूर्ण करने में विफल होगा, तो ऐसे अपराधों से संकटग्रस्त लोगों के संरक्षण में सहायता करने के लिए सभी देश (अंतर्राष्ट्रीय समुदाय) उत्तरदायी होंगे।

सम्बंधित तथ्य- चीन संबंधी कारक

- मालदीव ने चीन के साथ अपने प्रथम **द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते (FTA)** पर हस्ताक्षर किए हैं। पाकिस्तान के बाद, ऐसा करने वाला यह दूसरा दक्षिण एशियाई देश बन गया।
- मालदीव, **चीन के मैरीटाइम सिल्क रूट** में एक भागीदार बनने पर भी सहमत हुआ है।

1.9. SASEC रोड कनेक्टिविटी

(SASEC Road Connectivity)

सुर्ख़ियों में क्यों?

आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने मणिपुर में NH-39 के 65 कि.मी. लम्बे इंफाल-मोरे खंड के उन्नयन तथा उसे विस्तारित करने हेतु 1630.29 करोड़ रु. के अनुमोदन के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है।

- यह परियोजना साउथ एशियन सब-रीजनल इकोनॉमिक को-ऑपरेशन (SASEC) रोड कनेक्टिविटी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के तहत एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा प्रदान की जा रही ऋण सहायता से विकसित की जा रही है।
- परियोजना के अंतर्गत आने वाला सड़क गलियारा, **एशियन हाईवे नं. 01 (AH01)** का हिस्सा है और भारत के लिए **पूर्व का प्रवेशद्वार** है। अतः इसके माध्यम से इस क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

SASEC रोड कनेक्टिविटी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के बारे में

- 2001 में निर्मित सात सदस्यीय SASEC में भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार शामिल हैं। इसका उद्देश्य सीमा-पार कनेक्टिविटी की स्थापना द्वारा आर्थिक संवृद्धि को बढ़ाना है।
- एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा SASEC कार्यक्रम के तहत, बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (BBIN) मोटर व्हीकल एग्रीमेंट पहल को तकनीकी, परामर्शकारी एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

VISION IAS

- हाल ही में, बांग्लादेश, भारत और नेपाल ने BBIN समझौते के अंतर्गत यात्री वाहनों के आवागमन हेतु बनाई गई संचालन प्रक्रियाओं को अपनी सहमति प्रदान की है। भूटान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, परन्तु इसकी पुष्टि नहीं की है।

एशियन हाईवे नेटवर्क

- यह एशिया और यूरोप के देशों तथा **यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक (ESCAP)** के मध्य एक सहयोगात्मक परियोजना है, जिसका उद्देश्य एशिया में हाईवे प्रणालियों में सुधार करना है।
- यह **एशियन लैंड ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट (ALTID) परियोजना** के तीन स्तंभों में से एक है। ESCAP आयोग द्वारा इसका अनुमोदन 1992 में किया गया था। **ALTID परियोजना** में एशियन हाईवे, ट्रांस-एशियन रेलवे (TAR) तथा स्थल परिवहन परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान करना शामिल है।

1.10. हिंद महासागर क्षेत्र

(Indian Ocean Region)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारत और फ्रांस ने **हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में सहयोग के लिए एक संयुक्त रणनीतिक दृष्टिकोण** जारी किया है।

अन्य सम्बंधित तथ्य

- यह दृष्टिकोण शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए एक खुली, समावेशी एवं पारदर्शी सहयोग संरचना की स्थापना करता है।
- इस क्षेत्र में चार अत्यंत महत्वपूर्ण जलमार्ग; स्वेज नहर (मिस्र), बाब अल-मन्देब (जिबूती-यमन), होर्मुज जलसन्धि (ईरान-ओमान) तथा मलक्का जलसन्धि (इंडोनेशिया-मलेशिया) हैं।
- यह दृष्टिकोण इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती भूमिका के कारण महत्वपूर्ण हो जाता है- चीन द्वारा पाकिस्तान में **ग्वादर** के निकट नए नौसैनिक अड्डे एवं एयरबेस की स्थापना, हाल ही में **जिबूती** में नौसैनिक व सैन्य अड्डे एवं श्रीलंका में **हंबनटोटा** बंदरगाह का विकास इत्यादि इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति को दर्शाते हैं।

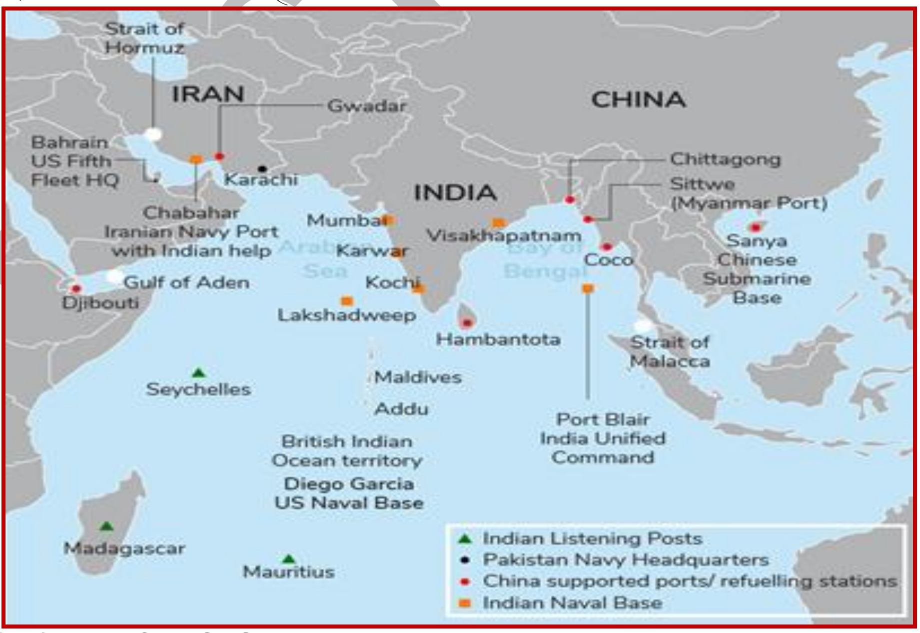

इस क्षेत्र में भारत की उपस्थिति

- हाल ही में, भारत को ओमान के डुक्म बंदरगाह पर नौसेना संबंधी सुविधाओं तक पहुंच प्रदान की गई है। भारत भी होर्मुज जलसंधि के निकट चाबहार बंदरगाह का आधुनिकीकरण और विस्तार कर रहा है।

VISION IAS

- 2017 में अमेरिका के साथ हुआ लॉजिस्टिक समझौता, भारत को डिएगो गार्सिया पर सुविधाएँ प्रदान करता है तथा फारस की खाड़ी में विभिन्न अमेरिकी सुविधाएँ उपलब्ध कराता है।
- हाल ही में, फ्रांस के साथ लॉजिस्टिक समझौते को अंतिम रूप देने की घोषणा की गई थी, इस समझौते के तहत लाल सागर पर जिबूती में स्थित फ्रांस के महत्वपूर्ण बेस तक और दक्षिणी हिंद महासागर में रियूनियन द्वीप तक भारत की पहुंच सुनिश्चित होगी।
- सिंगापुर के साथ हुए एक समझौते ने चांगी नौसैनिक अड्डे तक भारत की पहुँच को और अधिक विस्तारित किया है।

इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण संगठन

- **इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA):**
    - यह एक अंतर-सरकारी संगठन है। इसका उद्देश्य अपने 21 सदस्य देशों और 7 वार्ता भागीदार (डायलॉग पार्टनर) देशों के माध्यम से हिन्द महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग और सतत विकास को सुदृढ़ करना है।
    - प्रमुख प्राथमिकताओं और फोकस क्षेत्रों में मात्स्यिकी प्रबंधन, ब्लू इकोनॉमी, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, समुद्री रक्षा एवं सुरक्षा आदि शामिल हैं।
    - इसके सदस्य देशों में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, केन्या, मेडागास्कर, मलेशिया, मॉरीशस, मोज़ाम्बिक, ओमान, सेशेल्स, सिंगापुर, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन शामिल हैं।
- **इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम (IONS):** यह हिंद महासागर क्षेत्र के समुद्र तटीय देशों की नौसेनाओं के मध्य समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने हेतु एक पहल है। इस समूह में 35 सदस्य हैं और प्रथम IONS का आयोजन 2008 में नई दिल्ली हुआ था।
- **इंडियन ओशन कमीशन (COI):** 1984 में स्थापित COI एक अंतर-सरकारी संगठन है। पांच अफ्रीकी हिंद महासागरीय राष्ट्र इसके सदस्य हैं: कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरीशस, रियूनियन और सेशेल्स।

2. भारत और पश्चिमी एशिया

(India and West Asia)

2.1. भारत-संयुक्त अरब अमीरात

(India-UAE)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने UAE की यात्रा की।
- वह **दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट** के गेस्ट ऑफ़ दी ऑनर भी थे।

वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट

- यह दुबई में आयोजित एक **वार्षिक कार्यक्रम** है जो सरकारी कार्यविधियों तथा नीतियों पर वैश्विक वार्ता हेतु सरकार में शामिल नेताओं (अर्थात सत्तासीन नेताओं) को एकजुट करता है। यह भविष्य, प्रौद्योगिकी और नवाचार के मुद्दों पर मुख्य फोकस के साथ-साथ अन्य विषयों पर वैश्विक वार्ता हेतु एक मंच प्रदान करता है।

सम्बंधित तथ्य

- हाल ही में, ONGC विदेश लिमिटेड ने अबू धाबी में लोअर जाकुम कन्सेशन में शेयर अर्जित किए।
- प्रधानमंत्री ने UAE की राजधानी अबू धाबी में निर्मित किए जा रहे प्रथम हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया।

2.2. भारत-ईरान

(India-Iran)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने ईरान में स्थित **चाबहार बंदरगाह** के माध्यम से अफगानिस्तान को अपनी पहली गेहूँ की खेप (कन्साइनमेंट) भेजी।

मार्ग के बारे में

- यह समुद्री मार्ग, गुजरात के कांडला बंदरगाह को चाबहार से जोड़ता है। चाबहार बंदरगाह से शिपमेंट को एक स्थल मार्ग के द्वारा अफ़गानिस्तान ले जाया जाएगा।

चाबहार बंदरगाह का महत्व

- **यूरोप और मध्य एशिया के साथ कनेक्टिविटी-** जब चाबहार बंदरगाह, इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर (INSTC) से जुड़ जाएगा, तब यह दक्षिण एशिया को यूरोप एवं मध्य एशिया से जोड़ देगा। यह भारत को मध्य एशिया में व्यवसाय के विस्तार हेतु बेहतर अवसर प्रदान करेगा।

- **भू-रणनीतिक स्थिति** - यह बंदरगाह पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के अत्यधिक निकट (लगभग 100 किमी की दूरी पर) अवस्थित है, जिसे चीन द्वारा विकसित किया गया है। इस प्रकार, 'स्ट्रिंग ऑफ़ पर्ल्स' की नीति के माध्यम से एशिया में चीन की बढ़ती भूमिका को संतुलित करने के सम्बन्ध में इसकी अवस्थिति का रणनीतिक महत्व है।
- **परिवहन लागत में कमी** - भारत के कांडला बंदरगाह और चाबहार बंदरगाह के बीच की दूरी बहुत कम है, इससे माल की परिवहन लागत और माल ढुलाई के समय में कमी आएगी।

सम्बंधित तथ्य

मिडिल ईस्ट टू इंडिया डीपवाटर पाइपलाइन (MEIDP) - यह भारत और ईरान के मध्य 1,300 कि.मी. लंबाई की एक प्रस्तावित पाइपलाइन है। इसके ईरान के दक्षिणी तट पर चाबहार बंदरगाह से प्रारंभ होकर भारत के पश्चिमी तट पर पोरबंदर (गुजरात) के निकट समाप्त होने की संभावना है।

विवरण

- यह एक सबसे गहरी अंडरवाटर ट्रांसनेशनल गैस पाइपलाइन होगी, जिसका निर्माण पाकिस्तान को पूर्णतः बाईपास करके किया जाएगा।
- यह पाइपलाइन प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए, गैस समृद्ध खाड़ी और मध्य पूर्व क्षेत्रों को भारत से जोड़ेगी। इससे **भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं** को **प्रतिस्पर्धी दरों पर** सुनिश्चित किया जा सकेगा।
- यह संभावित ट्रांजिट हब, गैस आपूर्ति के स्रोत और परियोजना में इक्विटी पार्टनर के रूप में **ओमान के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका** की कल्पना करती है।

VISION IAS

अतिरिक्त तथ्य

इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC)

- यह भारत, रूस तथा ईरान द्वारा वर्ष 2000 में स्थापित एक मल्टीमोडल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है।
- इसका उद्देश्य हिंद महासागर और फ़ारस की खाड़ी को ईरान के माध्यम से कैस्पियन सागर से तथा भविष्य में रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से होते हुए उत्तरी यूरोप से जोड़ना है।
- बाद में, INSTC को 10 नए सदस्यों आर्मेनिया, अज़रबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्की, यूक्रेन, बेलारूस, ओमान और सीरिया को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया।

2.3. भारत-इज़राइल सम्बन्ध

(India Israel)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में **इज़राइल** के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत की यात्रा की।

इज़राइल-फिलिस्तीन मुद्दे का टू स्टेट सॉल्यूशन

इसके तहत जॉर्डन नदी के पश्चिम में **इज़राइल** के निकट एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की कल्पना की गई है।

- **1937: पील आयोग की रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तावित, किंतु अरबों द्वारा ख़ारिज किया गया।**
- **1948:** संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रस्तुत विभाजन योजना के अंतर्गत यरुशलम को अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में रखा गया।
- **ओस्लो समझौता, 1991:** इसने वर्तमान की राजनीतिक सीमाओं के लिए आधार प्रदान किया।
- **1991 का मैड्रिड सम्मेलन,** वार्ताओं के माध्यम से **इज़राइल**-फ़िलिस्तीन शांति प्रक्रिया को पुनर्जीवित करने वाला शांति सम्मेलन था जिसे अमेरिका और रूस का समर्थन प्राप्त था।
- **UNSC प्रस्ताव 1397:** अमेरिका के समर्थन से वर्ष 2000 में इस पर सहमति बनी। 'टू स्टेट सॉल्यूशन' पर सहमति प्रदान करने वाला सुरक्षा परिषद का यह प्रथम प्रस्ताव था।

पृष्ठभूमि

- **1992 में, भारत और इज़राइल रणनीतिक सहयोगी बने।**
- हाल ही में, दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की स्थापना के 25 वर्ष पूरे हुए हैं। पिछले 15 वर्षों में एरियल शेरॉन (2003 में) के बाद किसी **इज़राइली** प्रधानमंत्री की यह केवल **दूसरी भारत यात्रा** है।

संबंधों का डि-हायफनेशन

डि-हायफनेशन का अर्थ है दो संस्थाओं को वियोजित (डिलिंक) करना और उन्हें एक-दूसरे से स्वतंत्र रूप में देखना। भारत-इजराइल संबंध स्वयं में विशिष्ट हैं तथा ये संबंध भारत-फिलिस्तीन संबंध से स्वतंत्र और अलग हैं।

भारत-इजरायल संबंध:

- **कृषि:** 2008 में इज़राइल ने सम्पूर्ण भारत में विशिष्ट कृषि केन्द्रों की स्थापना के उद्देश्य से **इंडिया इज़राइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट (IIAP)** का शुभारम्भ किया।
- **रक्षा क्षेत्र एवं सुरक्षा:** इज़राइल, भारत को हथियारों की आपूर्ति करने वाले प्रमुख देशों में से एक है। भारत को इजराइल से प्राप्त होने वाले हथियारों में फाल्कन अवाक्स (AWACS: एयरबोर्न

VISION IAS

वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम) और सर्चर, हेरोन और हारोप UAVs (मानव रहित विमान) से लेकर एयरोस्टेट व ग्रीन पाइन रडार तथा बराक एंटी- मिसाइल डिफेंस सिस्टम तक शामिल हैं।

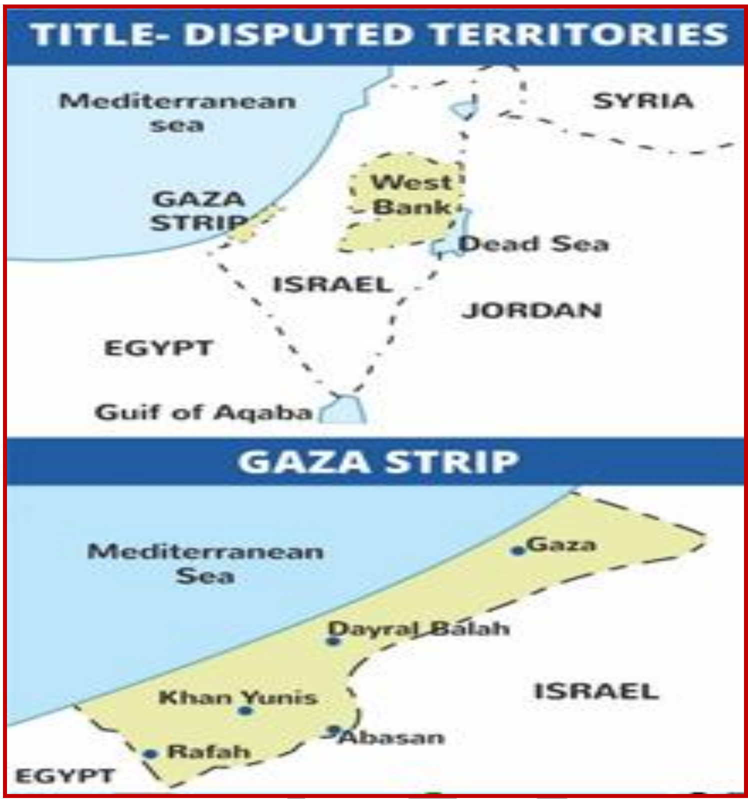

- **"इंडिया- इज़राइल इंडस्ट्रियल R&D एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड (I4F)" – 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एक** संयुक्त कोष स्थापना की गई है, जिसके लिए भारत और इज़राइल दोनों ही पाँच वर्ष की अवधि में समान राशि का योगदान करेंगे। यह फंड द्विपक्षीय औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार सहयोग की परिकल्पना करता है।

सम्बंधित तथ्य

अमेरिकी राष्ट्रपति ने यरुशलम को इज़राइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी है और अपने दूतावास को तेल अवीव से यरुशलम स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है।

2.4. भारत- फिलिस्तीन

(India-Palestine)

सुर्ख़ियों में क्यों?

फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने हाल ही में भारत का दौरा किया।

पृष्ठभूमि

भारत और फिलिस्तीन के मध्य ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं।

- 1947 में, भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन के विभाजन के विरुद्ध मतदान किया था।

VISION IAS

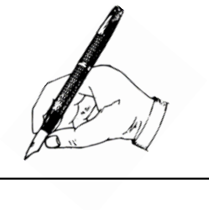

- 1974 में फिलिस्तीनी लोगों के एकमात्र और वैध प्रतिनिधि के रूप में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन (PLO) को मान्यता देने वाला भारत पहला गैर-अरब देश था। भारत 1988 में फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने वाले प्रारंभिक देशों में से एक था।
- 1996 में, भारत ने गाज़ा में फिलिस्तीन अथॉरिटी के लिए अपना प्रतिनिधि कार्यालय खोला, जिसे बाद में 2003 में रामल्लाह में स्थानांतरित कर दिया गया।

VISION IAS

3. भारत और दक्षिण-पूर्व/ पूर्वी एशिया

(India and Southeast/East Asia)

3.1. आसियान

(ASEAN)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- वर्ष 2017 में, फिलीपींस ने आसियान (एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन्स: ASEAN) की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह की मेजबानी की।

दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन (एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस: ASEAN)

- यह एक **राजनीतिक एवं आर्थिक संगठन** है जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों के मध्य आर्थिक संवृद्धि और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना है।
- इसकी **स्थापना 1967 में** दक्षिण-पूर्व एशिया के पाँच देशों- इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड द्वारा की गई थी।
- वर्तमान में इसके **10 सदस्य** हैं: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और वियतनाम।

अन्य कार्यक्रम

- मनीला में शिखर सम्मेलन के दौरान आयोजित होने वाले विभिन्न अन्य कार्यक्रम-
  - क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) के नेताओं की बैठक
  - भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका-जापान-ऑस्ट्रेलिया चतुर्भुज (क्वाड्रीलैटरल) की प्रथम बैठक।

3.1.1. भारत-आसियान

(India-ASEAN)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, आसियान-भारत संवाद संबंधों की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में **दिल्ली घोषणापत्र** पर हस्ताक्षर किए गए।

घोषणापत्र की मुख्य विशेषताएं

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के स्थिर और संधारणीय विकास को प्रोत्साहित करने पर सहमति व्यक्त की गई।
- **भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी-** दोनों पक्षों द्वारा मास्टर प्लान ऑन आसियान कनेक्टिविटी 2025 और आसियान ICT मास्टर प्लान (AIMS 2020) के अनुरूप भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुनःपुष्टि की गयी।

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (रीजनल कॉम्प्रीहेन्सिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप: RCEP)

- यह आसियान (ASEAN) के सदस्य देशों और आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने वाले छह देशों (ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, कोरिया गणराज्य और न्यूजीलैंड) के मध्य प्रस्तावित एक मुक्त व्यापार समझौता है।
- इस वार्ता का प्रारंभ नवंबर 2012 में कंबोडिया में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन में हुआ।

मास्टर प्लान ऑन आसियान कनेक्टिविटी 2025

- इसे **समेकित एवं व्यापक रूप से कनेक्टेड आसियान** (seamlessly and comprehensively connected ASEAN)' दृष्टिकोण के साथ 2016 में living वियतनाम घोषणा के दौरान अपनाया गया। इसके माध्यम से इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, समावेशन और सामुदायिक भावना को प्रोत्साहन मिलेगा।
- यह प्लान इस दृष्टिकोण की प्राप्ति हेतु पांच रणनीतिक क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करेगा-
    - संधारणीय अवसंरचना (सस्टेनेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर)
    - डिजिटल नवोन्मेष (डिजिटल इनोवेशन)
    - समेकित लॉजिस्टिक (सीमलेस लॉजिस्टिक)
    - विनियामकीय उत्कृष्टता (रेगुलेटरी एक्सीलेंस)
    - नागरिक गतिशीलता (पीपुल मोबिलिटी)

आसियान ICT मास्टर प्लान

- इसे 2015 में प्रारम्भ किया गया था। इसका उद्देश्य आसियान को डिजिटल रूप से समर्थ एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाना है, जो सुरक्षित, संधारणीय तथा परिवर्तनकारी हो। इसके साथ ही इसका लक्ष्य एक अभिनव, समावेशी और एकीकृत आसियान समुदाय की स्थापना करना है।

भारत-आसियान

- 1992 में भारत, आसियान के सीमित क्षेत्रों में वार्ता भागीदार बना और 1995 में भारत ने **पूर्ण वार्ता भागीदार** का दर्जा प्राप्त किया।
- 1996 में, भारत को पोस्ट मिनिस्टेरियल कांफ्रेंस (PMC) में उपस्थित होने तथा आसियान रीजनल फोरम (ARF) की पूर्ण सदस्यता प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। जबकि 2012 में संबंध उन्नत होकर **रणनीतिक साझेदारी** में परिवर्तित हो गए।
- 2004 में "आसियान-इंडिया पार्टनरशिप फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी" तथा 2012 में "प्लान ऑफ एक्शन" ने आसियान और भारत के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते हुए आपसी सामंजस्य को प्रदर्शित किया है।
- सरकार ने 2 दशक पुरानी 'लुक ईस्ट पॉलिसी' का पुनर्नामकरण करके अब इसे 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' कर दिया है। इसने आसियान को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय भागीदार बनाकर भारत के लिए सकारात्मक परिणाम प्रस्तुत किए हैं।

व्यापार एवं आर्थिक सहयोग-

- भारत ने आसियान के साथ 2009 में वस्तुओं हेतु एक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) तथा 2014 में सेवाओं और निवेश हेतु एक FTA पर हस्ताक्षर किए।
- इसके अतिरिक्त, भारत का आसियान के विभिन्न देशों के साथ **एक कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक**

VISION IAS

कोऑपरेशन एग्रीमेंट (CECA) है, जिसके परिणामस्वरूप रियायती व्यापार और निवेश में वृद्धि हुई है।

अन्य संबंधित तथ्य

- हाल ही में, चौथा 'अंतर्राष्ट्रीय धर्म-धम्म सम्मेलन' बिहार राज्य के नालंदा जिले के राजगीर में संपन्न हुआ। इसे भारत-आसियान वार्ता भागीदारी के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था।
- इस सम्मेलन का मूल विषय था "धर्म-धम्म परंपराओं में राज्य और सामाजिक व्यवस्था"।
- इसका आयोजन नालंदा विश्वविद्यालय द्वारा सेंटर फॉर स्टडी ऑफ रिलीजन एंड सोसाइटी, इंडिया फाउंडेशन, विदेश मंत्रालय और वियतनाम बौद्ध विश्वविद्यालय के सहयोग से किया गया।

3.1.2. एक्सपैंडेड आसियान मैरीटाइम फोरम (EAMF)

(Expanded ASEAN Maritime Forum: EAMF)

सुर्ख़ियों में क्यों?

5वीं EAMF का आयोजन **जकार्ता,** इंडोनेशिया में किया गया।

EAMF से संबंधित विवरण

- इसकी स्थापना **2012** में **मनीला, फिलीपींस** में आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी।
- इसमें **ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका (8 देशों)** के अतिरिक्त **दस दक्षिण पूर्वी एशियाई देश भी सम्मिलित हैं।**
- यह मुख्य रूप से **समुद्री मुद्दों** पर केंद्रित है, जिसमें फोरम के सदस्यों के मध्य समुद्री सीमा संबंधी विवाद, समुद्री डकैती (पाइरेसी) और समुद्री विनियमन भी शामिल हैं।
- 2012 में EAMF की स्थापना से पूर्व, समुद्री मुद्दों से संबंधित विषयों पर **एशिया मैरीटाइम ऑर्गनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन (AMOSC)** के तहत चर्चा की जाती थी। किन्तु, AMOSC से कोई भी सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं हो सका।

3.2. भारत तथा जापान

(India and Japan)

सुर्खियों में क्यों?

परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के संबंध में भारत-जापान सहयोग समझौता प्रभावी हो गया है।

निरस्तीकरण खंड (Nullification clause)

- यह इस समझौते में सबसे बड़ी बाधा थी जिसके तहत यदि भारत भविष्य में परमाणु परीक्षण करता है तो यह समझौता स्वतः ही रद्द हो जाता।
- इसका समाधान संधि में अलग ज्ञापन (memorandum) संलग्न करके किया गया है जिसके अनुसार, यदि भारत परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) के समक्ष की गई परीक्षण न करने की अपनी प्रतिज्ञा का उल्लंघन करता है तो उस स्थिति में जापान सहयोग निलंबित कर सकता है।

भारत के लिए समझौते का महत्व

- भारत को उम्मीद है कि इस समझौते के पश्चात् उसे 2008 में NSG से प्राप्त छूट (waiver) का लाभ प्राप्त होने लगेगा। अब तक NSG से प्राप्त छूट से देश के ऊर्जा उद्योगों को सीमित लाभ ही प्राप्त हुआ है।
- भारत के लिए यह समझौता एक प्रमुख उपलब्धि है क्योंकि यह एक ऐसे देश के साथ **जापान का पहला असैन्य परमाणु सहयोग समझौता** है जिसने परमाणु अप्रसार संधि (Nuclear Non-Proliferation Treaty) पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

VISION IAS

हालिया प्रगति

- संयुक्त वक्तव्य का शीर्षक **"टूवर्ड्स ए फ्री, ओपन एंड प्रॉस्परस इंडो-पैसिफिक",** दोनों देशों की साझा चिंताओं का प्रतिनिधित्व करता है; उदाहरण के लिए, भारत-प्रशांत क्षेत्र में "नियम-आधारित व्यवस्था" एवं **सीमा-पार आतंकवाद का मुकाबला करने हेतु लाए गए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 1267 का कार्यान्वयन।**
- भारत और जापान ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो उनकी एयरलाइन्स को एक-दूसरे के मध्य असीमित उड़ानों को संचालित करने की अनुमति प्रदान करता है। 2016 की नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी, ऐसे समझौते के अंतर्गत सम्मिलित देशों को छह महानगरीय हवाई अड्डों दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरु और चेन्नई में असीमित उड़ानों की अनुमति प्रदान करती है।
- **मुंबई और अहमदाबाद** के मध्य हाई स्पीड रेल परियोजना का संयुक्त उद्घाटन किया गया। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को जापान से प्राप्त लगभग **90% वित्तीय और तकनीकी सहायता** के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है।

भारत का निम्नलिखित देशों के साथ 'ओपन स्काई एग्रीमेंट' है:
अमेरिका, जमैका, गुयाना, चेक गणराज्य, फिनलैंड, स्पेन, श्रीलंका, आसियान (ASEAN) और ग्रीस।

3.2.1. एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर

(Asia-Africa Growth Corridor)

सुर्खियों में क्यों?

AfDB (अफ्रीकी विकास बैंक) की बैठक में भारत द्वारा एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर (AAGC) से संबंधित एक विज़न डॉक्यूमेंट जारी किया गया। इसमें जापान भारत का सहयोगी है।

कॉरिडोर के बारे में

- इस विज़न डॉक्यूमेंट को भारत एवं जापान के थिंक-टैंक्स (विचार मंचों) द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत रिसर्च एंड इनफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कन्ट्रीज (RIS), इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर आसियान एंड ईस्ट एशिया (ERIA) और इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज - जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाईजेशन (IDE-JETRO) तथा एशिया और अफ्रीका के अन्य थिंक-टैंक शामिल हैं।
- **इस कॉरिडोर का मुख्य उद्देश्य एशिया और अफ्रीका के मध्य संवृद्धि और संपर्क (कनेक्टिविटी) को बढ़ावा देना है।**
- कॉरिडोर **चार क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित** करेगा: विकास सहयोग परियोजनाएं, गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना एवं संस्थागत संपर्क (कनेक्टिविटी), कौशल विकास और पीपल-टू-पीपल पार्टनरशिप।
- विकास कार्यों में सहयोग के लिए प्रमुख क्षेत्रों के रूप में कृषि, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी और आपदा प्रबंधन की पहचान की गई है।

3.3. भारत-फिलीपींस

(India and Philippines)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने फिलीपींस को, मिंडानाओ प्रांत के मरावी शहर में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट से संबद्ध आतंकवादी समूहों का सामना करने हेतु, आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- फिलीपींस, इस्लामिक स्टेट्स (ISIS) के विरुद्ध संघर्षरत है। ISIS ने 23 मई, 2017 को मिंडानाओ प्रांत के मारवा शहर पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक आक्रामक कार्यवाही की थी।
- यह पहली बार है जब भारत आतंकवादी समूहों के विरुद्ध किसी अन्य देश को राहत और पुनर्वास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

VISION IAS

3.4. भारत-दक्षिण कोरिया

(India-South Korea)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत, निवेश को बढ़ावा देने और सुगम बनाने हेतु सृजित 'कोरिया प्लस सेल' को सुदृढ़ करेगा।

कोरिया प्लस

- 18 जून 2016 को 'कोरिया प्लस' पहल का शुभारंभ किया गया। इसमें कोरिया गणराज्य के उद्योग, व्यापार एवं ऊर्जा मंत्रालय से एक प्रतिनिधि, कोरिया ट्रेड इनवेस्टमेंट एंड प्रमोशन एजेंसी (KOTRA) के प्रतिनिधि एवं इन्वेस्ट इंडिया के तीन प्रतिनिधि सम्मिलित हैं।
- यह भारत और दक्षिण कोरिया की सरकारों के मध्य एक कूटनीतिक पहल है, जो भारत में कोरियाई निवेश को बढ़ावा देने, उसे सुगम बनाने और स्थायी बनाए रखने हेतु आरंभ की गई है।

3.5. मेकांग-गंगा सहयोग (MGC)

(Mekong Ganga Cooperation- MGC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने मेकांग-गंगा सहयोग (MGC) समूह के सदस्य देशों के मध्य सहयोग के क्षेत्रों का विस्तार करने हेतु आह्वान किया है।

MGC के बारे में

- यह पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा के साथ-साथ परिवहन और संचार में सहयोग हेतु 6 देशों- भारत एवं 5 आसियान देशों, नामतः कंबोडिया, लाओस (Lao People's Democratic Republic), म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम, द्वारा प्रारंभ की गई एक पहल है।
- इसकी शुरुआत वर्ष 2000 में की गई थी। गंगा और मेकांग दोनों ही सभ्यता से जुड़ी हुई नदियां (Civilisational rivers) हैं और MGC पहल का उद्देश्य इन दो प्रमुख नदी घाटियों के निवासियों के मध्य घनिष्ठ संबंधों की स्थापना में मदद करना है।

VISION IAS

4. यूरोपीय संघ

(European Union)

4.1. भारत-यूरोपीय संघ

(INDIA - EU)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत और यूरोपीय संघ (EU) के मध्य 14वाँ वार्षिक शिखर सम्मेलन हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न हुआ।

भारत-EU संबंध

- भारत और EU 2004 से ही रणनीतिक भागीदार रहे हैं।
- वर्ष 2016 में 88 बिलियन डॉलर के द्विपक्षीय वस्तु-व्यापार के साथ EU भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रीय व्यापारिक भागीदार है।
- EU भारतीय निर्यातों के लिए भी सबसे बड़ा गंतव्य स्थल है तथा निवेश व प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।

यूरोपीय संघ के बारे में

- यह 28 सदस्य देशों का एक एकीकृत व्यापारिक और आर्थिक संगठन है। इसका उद्देश्य वैश्विक बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धी होने के साथ ही अपने स्वतंत्र आर्थिक और राजनीतिक सदस्यों की आवश्यकताओं को संतुलित करना है।
- यूरोपीय संघ के 28 सदस्य देश हैं- ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लाटविया,

लिथुआनिया, लक्ज़मबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड्स, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम। ब्रेग्ज़िट के कारण ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने पर, इनकी संख्या घटकर 27 हो जाएगी।

- संस्थागत संरचना-
  - यूरोपीय संघ की व्यापक प्राथमिकताओं का निर्धारण **यूरोपीय परिषद** द्वारा किया जाता है, जो राष्ट्रीय और यूरोपीय संघ के स्तर के राजनेताओं को एक मंच पर लाती है।
  - प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित MEPs (यूरोपीय संसद के सदस्य), **यूरोपीय संसद** में यूरोपीय नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
  - समग्र रूप से यूरोपीय संघ के हितों को **यूरोपीय कमीशन** द्वारा आगे बढ़ाया जाता है, जिसके सदस्यों को राष्ट्रीय सरकारों द्वारा नियुक्त किया जाता है।
  - **यूरोपीय संघ परिषद** में सरकारें अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करती हैं।

सम्बंधित तथ्य

यूरोजोन

- यह एक भौगोलिक और आर्थिक क्षेत्र है। इसमें वे देश सम्मिलित हैं, जो यूरो को अपनी राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में पूर्ण रूप से अपना चुके हैं।
- 2018 तक, यूरोजोन में EU के 19 सदस्य देश सम्मिलित थे: ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्ज़मबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड्स, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया और स्पेन।

शेंजेन क्षेत्र

- यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें ऐसे **26 यूरोपीय देश** सम्मिलित हैं, जो अपनी पारस्परिक सीमाओं पर आधिकारिक रूप से पासपोर्ट एवं अन्य सभी प्रकार के सीमा नियंत्रण समाप्त कर चुके हैं।
- इस क्षेत्र का नाम जून 1985 में लक्ज़मबर्ग के शेंजेन शहर में हस्ताक्षरित **शेंजेन एग्रीमेंट** पर रखा गया है।
- यूरोपीय संघ के 28 सदस्य देशों में से 22 देश शेंजेन क्षेत्र में सम्मिलित हैं।
- यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन (EFTA) के चार सदस्य देश- आइसलैंड, लिचेस्टीन, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड- यूरोपीय संघ के सदस्य नहीं हैं, किंतु इन्होंने शेंजेन एग्रीमेंट से सम्बद्ध समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

4.1.1. यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक

(European Bank for Reconstruction & Development)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (EBRD) में भारत की सदस्यता के लिए स्वीकृति प्रदान की है।
- इस प्रकार वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा EBRD की सदस्यता की प्राप्ति हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

VISION IAS

EBRD के बारे में

- यह 1991 में स्थापित एक **बहुपक्षीय विकासात्मक निवेश बैंक** है।
- प्रारम्भ में, इसने शीत युद्ध के पश्चात् साम्यवादी देशों को उनकी अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्निर्माण करने में सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया था। इसके पश्चात् इसने मध्य यूरोप से मध्य एशिया तक के 30 से अधिक देशों के विकास में सहयोग प्रदान किया।
- यह केवल उन देशों में कार्य करता है जो "लोकतांत्रिक सिद्धांतों हेतु प्रतिबद्ध हैं" तथा साथ ही बाजार अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण हेतु निवेश को एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं।

भारत के लिए महत्व

- भारत अपनी नई सदस्यता से **धन प्राप्त करने के बजाय केवल धन उपलब्ध** कराएगा। भारत को EBRD परियोजनाओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा। इसके साथ ही यदि भारतीय कंपनियों द्वारा बैंक के साथ निवेश किया जाता है तो भारत के लिए निवेश अवसरों में भी वृद्धि होगी। EBRD की सदस्यता से भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि में और सुधार होगा तथा इसके आर्थिक हितों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

4.1.2. इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन मैकेनिज्म

(Investment Facilitation Mechanism)

- **यूरोपीय संघ (EU) और भारत ने,** भारत में EU के निवेश हेतु **एक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन मैकेनिज्म (IFM)** स्थापित करने की घोषणा की है।
- IFM व्यवस्था के अंतर्गत EU के प्रतिनिधिमंडल तथा औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (DIPP) के मध्य नियमित उच्च-स्तरीय बैठकों के माध्यम से बिज़नेस स्थितियों का आकलन किया जाएगा। इसके आधार पर ये भारत में यूरोपीय संघ के निवेशकों के लिए **सिंगल विंडो एन्ट्री पॉइंट** के माध्यम से **"ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस"** को सुगम बनाने का प्रयास करेंगे।
- भारत सरकार की आधिकारिक निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी **इन्वेस्ट इंडिया** भी IFM का भाग होगी।

4.2. परमानेंट स्ट्रक्चर्ड को-ऑपरेशन ऑन डिफेन्स

(Permanent Structured Cooperation on Defence: PESCO)

सुर्ख़ियों में क्यों?

यूरोपीय संघ ने एक *परमानेंट स्ट्रक्चर्ड को-ऑपरेशन ऑन डिफेन्स* नामक यूरोपीय संघ रक्षा समझौता करने का निर्णय लिया है।

> **लिस्बन संधि-** यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसके द्वारा संवैधानिक आधार पर यूरोपीय संघ (EU) को गठित करने के लिए मास्ट्रिच संधि व रोम की संधि में संशोधन किया गया। 2007 में EU के सदस्य देशों द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए।

समझौते के बारे में

- यह एक अंतरसरकारी, **बाध्यकारी** एवं **स्थायी** फ्रेमवर्क है तथा EU फ्रेमवर्क के अंतर्गत रक्षा सहयोग को उत्तरोत्तर गहन करने हेतु एक संरचित प्रक्रिया (structured process) है।

VISION IAS

- इसका उद्देश्य संयुक्त रूप से रक्षा क्षमताओं का विकास करना तथा इन क्षमताओं को EU के सैन्य अभियानों हेतु उपलब्ध कराना है।
- सदस्य देश PESCO के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के साथ-साथ नाटो (NATO) को भी ये सैन्य क्षमताएं उपलब्ध करवा सकते हैं।
- **डेनमार्क, माल्टा व ब्रिटेन** के अतिरिक्त, अभी तक EU के 25 सदस्यों द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। नाटो के सदस्य भी PESCO के सदस्य बन सकते हैं। हालांकि **EU से बाहर के नाटो सदस्यों** को इसमें सम्मिलित करने का **कोई प्रावधान नहीं है**।

VISION IAS

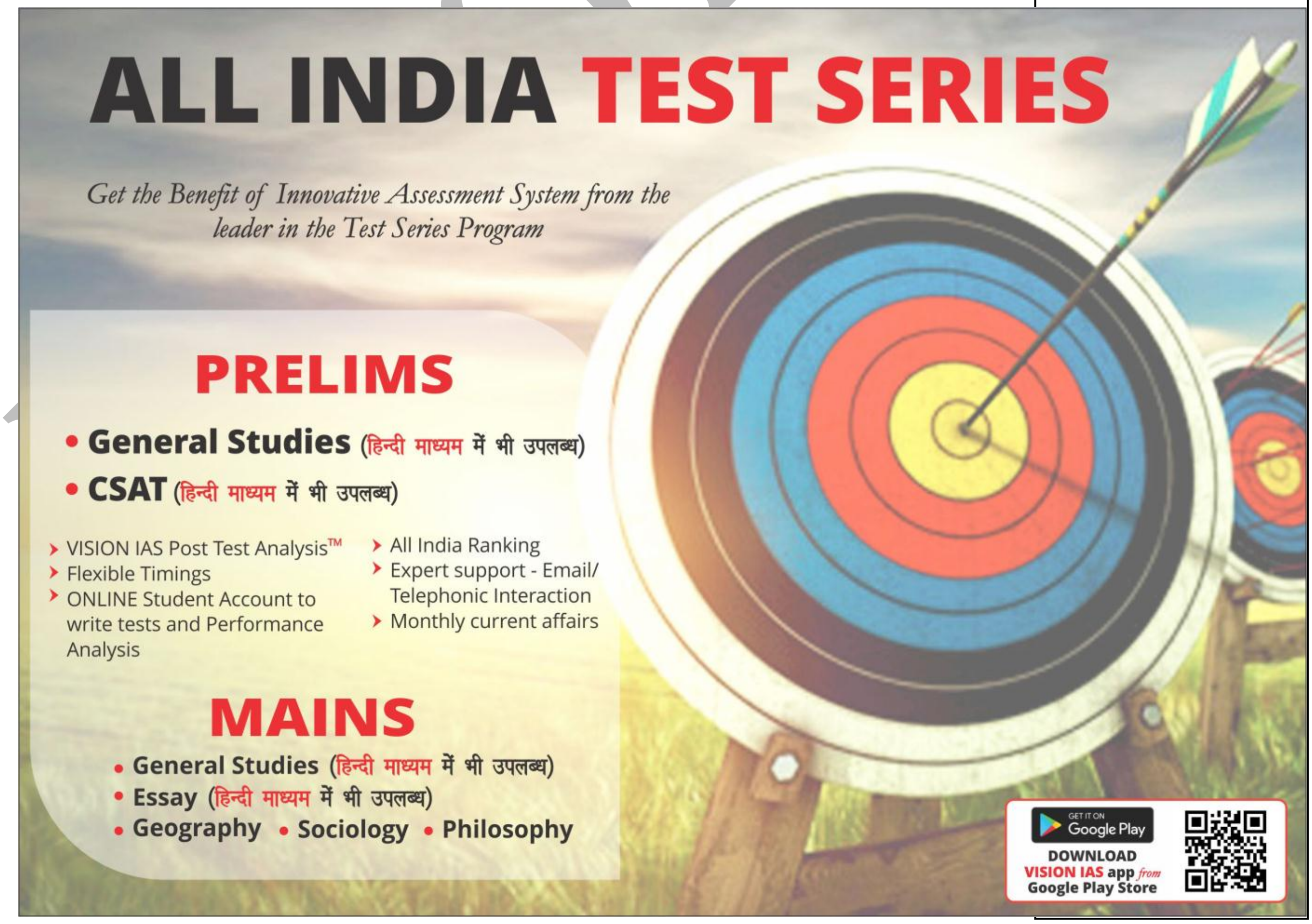

5. अमेरिका

(USA)

5.1. भारत - अमेरिका

(INDIA-USA)

जून 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की अधिकारिक यात्रा की। यह प्रधानमंत्री मोदी की चौथी अमेरिकी यात्रा तथा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ पहली प्रत्यक्ष आधिकारिक बैठक थी।

ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम

- भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ **इंटरनेशनल एक्स्पिडाइटेड ट्रैवलर इनिशिएटिव प्रोग्राम** (International Expedited Traveler Initiative Program) पर हस्ताक्षर किया है, जिसे **ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम** के रूप में भी जाना जाता है।
- यह एक US कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP) प्रोग्राम है जो कम जोखिम वाले यात्रियों के US में आगमन के दौरान उन्हें शीघ्र क्लीयरेंस प्रदान करता है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका में चयनित हवाई अड्डों पर लैंड करने पर, स्वीकृत आवेदक इमिग्रेशन लाइनों में इन्तजार करने के स्थान पर ऑटोमेटिक किऑस्क (automatic kiosks) के माध्यम से क्लीयरेंस प्राप्त कर सकते हैं।
- हालांकि इसका लक्ष्य यात्रियों की क्लीयरेंस प्रक्रियाओं को गति प्रदान करना है, फिर भी US में प्रवेश करते समय अन्य जाँच प्रक्रियाओं के लिए उन्हें चयनित किया जा सकता है।
- भारत के अतिरिक्त, कोलंबिया, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, पनामा, सिंगापुर के नागरिक इस कार्यक्रम के सदस्य बनने के लिए पात्र हैं। दक्षिण कोरिया एवं मेक्सिको के नागरिकों को भी ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल किया गया है।

हालिया प्रगति

- **रक्षा सहयोग**
  - अमेरिका ने 22 मानवरहित गार्जियन ड्रोन (guardian drones) की भारत को बिक्री करने के लिए मंजूरी दे दी है।
- **समुद्री सुरक्षा और सूचनाओं का साझाकरण**
  - दोनों नेताओं ने "*व्हाइट शिपिंग*" से सम्बंधित सूचना साझा करने की व्यवस्था के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने की अपनी आकांक्षा की घोषणा की। यह समझौता देशों को *मैरीटाइम ट्रैफिक* और *डोमेन अवेयरनेस* से सम्बंधित सूचनाओं को साझा करने की अनुमति प्रदान करता है|
- **भारत के लिए US से LNG की आपूर्ति**
  - हाल ही में, भारत ने दीर्घकालिक आपूर्ति सौदे के अंतर्गत अमेरिका से अपना पहला LNG (लिक्वीफाइड नेचुरल गैस) कार्गो, दाभोल (महाराष्ट्र) में प्राप्त किया। दिसंबर 2011 में GAIL ने अमेरिकी LNG निर्यातक चेनिएयर एनर्जी के साथ बिक्री और खरीद समझौते (SPA) पर हस्ताक्षर किए थे। विदेश सचिव के अनुसार, अगले वर्ष से भारत को अमेरिका से LNG प्राप्त होनी आरम्भ हो जाएगी।
- भारत और अमेरिका द्वारा **हैदराबाद में ग्लोबल इंटरप्रेन्योरशिप समिट (GES)** की सह-मेजबानी की गई।
  - 2010 से वार्षिक रूप से आयोजित, GES सबसे प्रमुख वार्षिक उद्यमिता सम्मेलन है जो विश्व के एक हज़ार से अधिक उभरते उद्यमियों, निवेशकों और समर्थकों को आमंत्रित करता है।
  - इस वर्ष दक्षिण एशिया में आयोजित प्रथम GES सम्मेलन, अमेरिका की भारत के साथ व्यापक एवं स्थायी भागीदारी को चिन्हित करता है।

VISION IAS

- इस वर्ष की थीम **"वुमेन फर्स्ट, प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल"** है।
- इस सम्मलेन का आयोजन तेलंगाना राज्य सरकार की भागीदारी के साथ नीति आयोग द्वारा किया गया। नीति आयोग इस सम्मलेन के आयोजन के लिए उत्तरदायी प्रमुख भारतीय एजेंसी थी।

5.2. अमेरिका वैश्विक प्रवसन समझौते से अलग हुआ

(US Withdraws from Global Compact on Migration)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, अमेरिका **संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक प्रवसन समझौते** को अपनी प्रवसन नीतियों के साथ असंगत मानते हुए इससे अलग हो गया।

'संयुक्त राष्ट्र वैश्विक प्रवसन समझौता' क्या है?

- यह **अंतरसरकारी वार्ता पर आधारित प्रथम समझौता** है। इसे **सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य 10.7** के अनुरूप तैयार किया गया है। इसके तहत सदस्य देशों द्वारा **सुरक्षित, व्यवस्थित व नियमित प्रवसन** हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गयी है।
- इसके निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य हैं-
    - मानवीय, विकासात्मक, मानवाधिकार सहित अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन के अन्य सभी पहलुओं का समाधान करना।
    - वैश्विक अभिशासन (ग्लोबल गवर्नेंस) में महत्वपूर्ण सहयोग करना तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन पर समन्वय को बढ़ावा देना।
    - प्रवसन तथा मानव गतिशीलता (mobility) पर व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की एक रूपरेखा प्रस्तुत करना।
    - अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन के सभी आयामों के सन्दर्भ में, सदस्य देशों के मध्य व्यवहार्य प्रतिबद्धताओं, इसके कार्यान्वयन के साधनों तथा निगरानी व समीक्षा हेतु एक रूपरेखा निर्धारित करना।
- इसे सितम्बर 2016 में **न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन फॉर रिफ्यूज़ीज एंड माइग्रेंट्स** (जिसे संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्यों द्वारा अपनाया गया था) के तहत संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में तैयार किया गया था। इस घोषणा की **प्रकृति गैर-बाध्यकारी** है।
- भारत ने भी इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं।
- इसे 2018 में अपनाया जाना है। इस समझौते को **प्रवसन से संबंधित शासन (गवर्नेंस) में सुधार करने तथा** वर्तमान में प्रवसन सम्बन्धी चुनौतियों के समाधान हेतु एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखा जा रहा है।
- इसके माध्यम से संधारणीय विकास के लिए प्रवसन एवं प्रवासियों के योगदान को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

5.3. अमेरिका ने यूनेस्को की सदस्यता छोड़ी

(US Withdraws From UNESCO)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अमेरिका ने यूनेस्को (UNESCO) पर **इज़राइल-विरोधी पक्षपात** का आरोप लगाते हुए इसकी सदस्यता छोड़ने का निर्णय लिया है।

यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन) के बारे में

- इसका उद्देश्य "शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार और सूचना के माध्यम से शांति स्थापित करने, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास और अंतर-सांस्कृतिक संवाद में योगदान" देना है।
- इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और यह 4 नवंबर 1946 से प्रभाव में आया। इसका मुख्यालय **पेरिस** में स्थित है।
- 195 देश इसके सदस्य हैं और 10 देश इसके सहयोगी सदस्य हैं।

VISION IAS

- इसके पाँच मुख्य कार्यक्रम निम्नलिखित हैं:
  - **शिक्षा,**
  - **प्राकृतिक विज्ञान,**
  - **सामाजिक/मानव विज्ञान,**
  - **संस्कृति,**
  - **संचार/सूचना।**

संबंधित तथ्य

- इससे पूर्व अमेरिका ने 1984 में इस संगठन की सदस्यता छोड़ी थी और वर्ष 2002 में वह पुन: इसका सदस्य बना।
- यूनेस्को द्वारा फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता दिए जाने के विरोध में, अमेरिका ने इसे दिए जाने वाले महत्वपूर्ण बजट योगदान को वर्ष 2011 में रद्द कर दिया था। अमेरिकी कानून ऐसी किसी भी एजेंसी को फंडिंग का निषेध करते हैं जो फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देती है।
- अमेरिका एक पर्यवेक्षक देश के तौर पर यूनेस्को में अपनी उपस्थिति बनाए रखेगा।

5.4 अमेरिका की नयी अफ़गान नीति

(US New Afghan Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, अमेरिकी राष्ट्रपति ने "अफगानिस्तान और दक्षिण एशिया" के लिए नयी रणनीति की घोषणा की है।

नयी रणनीति के महत्वपूर्ण बिंदु:

शीघ्र वापसी की बजाय अनिश्चित समय सीमा

- राष्ट्रपति ने अपनी नई रणनीति की रूपरेखा में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान में जारी संघर्ष को 'ओपन एंडेड' बताते हुए संघर्ष जारी रखने के पक्ष में पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना संघर्ष को **"जीतने के लिए"** लड़ेगी।

इस्लामाबाद पर सख्त रुख

- ट्रंप ने प्रत्यक्षतः पाकिस्तान को आतंकवादियों को आश्रय देने वाले देश की संज्ञा देते हुए माँग की कि पाकिस्तान सीमा-पार आतंकवाद को समर्थन देना "बंद करे" और इसे "तत्काल प्रभाव से बंद करे"।
- अमेरिका द्वारा अब आतंकवादियों को आश्रय देने की पाकिस्तानी नीति को सहन नहीं किया जाएगा।

भारत की भूमिका में वृद्धि

- भारत को "संयुक्त राज्य अमेरिका के एक महत्वपूर्ण सुरक्षा और आर्थिक सहयोगी" के रूप में वर्णित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका **"विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र - भारत के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ करेगा"**।

5.5. अमेरिका की विशेष निगरानी सूची

(US Special Watch List)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को **'विशेष निगरानी सूची (स्पेशल वाच लिस्ट)'** में शामिल किया गया तथा इसे प्राप्त होने वाली 1.15 अरब डॉलर की सैन्य सहायता रोक दी गयी।
- अमेरिका ने 10 देशों को 'कन्ट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न' (CPC) के रूप में पुनर्नामित करने की भी घोषणा की है।

VISION IAS

विशेष निगरानी सूची (special watch list) के विषय में :

- यह उन देशों के लिए है, जो धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघनों में सम्मिलित हैं या उसे नजरअंदाज करते हैं, परन्तु कन्ट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न (countries of particular concern: CPC) के स्तर पर नहीं हैं।

CPC के बारे में

- **अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 1998** के प्रावधानों के अनुसार किसी देश को CPC की सूची में तब रखा जाता है, जब वे धार्मिक स्वतंत्रता के व्यवस्थित, निरंतर और गंभीर उल्लंघनों में या तो शामिल होते हैं या उन्हें सहन करते हैं।
- इस सूची में म्यांमार, चीन, इरीट्रिया, उत्तर कोरिया, सऊदी अरब, ईरान, सूडान, ताज़िकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं।

5.6. अमेरिका की नई सुरक्षा रणनीति

(The New US Security Strategy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी नई सुरक्षा रणनीति (NSS) की घोषणा की है।

मुख्य बिंदु

- **इंडो-पैसिफिक क्षेत्र -** इस दस्तावेज़ में भारत को स्पष्ट रूप से इंडो-पैसिफिक (हिंद-प्रशांत महासागर) क्षेत्र की परिभाषा में शामिल किया गया है। यह क्षेत्र "भारत के पश्चिमी तट से संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट" तक विस्तृत है।
- **चीन और रूस से मुकाबला -** चीन और रूस को अपने स्वयं के आदर्शों के अनुरूप विश्व को ढालने की सोच रखने वाली "संशोधनवादी शक्तियाँ (revisionist powers)" माना गया है।
- **द्विपक्षीय व्यापार की ओर झुकाव-** यह नीति बहुपक्षीय व्यापार लेन-देन के स्थान पर द्विपक्षीय लेन-देन का समर्थन करती है क्योंकि वर्तमान में देश एक दूसरे के साथ तीव्र प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

6.अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं संस्थाएँ

(International Organizations/ Institutions)

6.1. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार

(UNSC Reform)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम बैठक के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सुधार प्रक्रिया में पारदर्शिता की माँग की।

विषय सम्बन्धी अतिरिक्त जानकारी

सुधार का एजेंडा, 1993 से ही लगातार वार्षिक विचार-विमर्श का विषय रहा है, किन्तु इस मुद्दे पर सर्वसम्मति का अभाव देखा गया। इसका प्राथमिक कारण “संस्थागत जड़ता” है।

UNSC सुधार एजेंडा क्या है?

इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों से सम्बंधित विचार विमर्श शामिल हैं:

- सदस्यता की श्रेणियां,
- पाँच स्थायी सदस्यों को प्राप्त वीटो का प्रश्न,
- क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व,
- विस्तारित परिषद् का आकार और इसकी कार्य पद्धतियाँ तथा
- सुरक्षा परिषद व महासभा के मध्य संबंध।

G-4 के देश

- इसके अंतर्गत ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान सम्मिलित हैं। ये UNSC की स्थायी सदस्यता हेतु एक दूसरे के प्रयासों का समर्थन करते हैं।
- इन्होंने हाल ही में **'त्वरित सुधारों' एवं विकासशील देशों के लिए बढ़ी हुई भूमिका** तथा परिषद को अधिक औचित्यपूर्ण, प्रभावी और प्रतिनिधिक बनाने के लिए UNSC की कार्य पद्धति में सुधार की माँग की।

यूनाइटिंग फॉर कन्सेन्सस (UfC) या कॉफ़ी क्लब

- UfC अभियान का उद्देश्य **G-4** देशों के स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के प्रयासों का विरोध करना है।
- ये माँग करते हैं कि UNSC को विस्तारित करने से पूर्व इसके स्वरूप और आकार पर सर्वसम्मति बननी चाहिए।
- इटली इसका नेतृत्व करता है और इसमें पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, कनाडा, अर्जेंटीना और कुछ अन्य देश शामिल हैं।

6.1.1. संयुक्त राष्ट्र की संरचना

(UN Structure)

UN के बारे में

- यह 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वर्तमान में इसके 193 सदस्य हैं।
- इसके 6 प्रमुख अंग हैं- महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं UN सचिवालय।
    - **महासभा (General Assembly)**-- यह संयुक्त राष्ट्र का विचार-विमर्श एवं नीति निर्माण करने तथा वैश्विक राष्ट्रों एवं संस्थाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान करने वाला प्रमुख अंग है। संयुक्त

VISION IAS

राष्ट्र के सभी 193 सदस्य राष्ट्रों को महासभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व वाली संस्था है।

- **सुरक्षा परिषद (Security Council)**- UN चार्टर के तहत इसका प्राथमिक उत्तरदायित्व अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना है। इसमें **15 सदस्य** (5 स्थायी एवं 10 अस्थायी सदस्य) सम्मिलित हैं।
- **आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (Economic and Social Council)**- यह समन्वयन, नीति समीक्षा, नीति वार्ता तथा आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय मुद्दों के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन पर परामर्श देने हेतु प्रमुख निकाय है। इसके 54 सदस्यों को तीन वर्षीय कार्यकाल हेतु UN महासभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है।
- **ट्रस्टीशिप काउंसिल (Trusteeship Council)**- इसकी स्थापना 11 न्यास क्षेत्रों (Trust Territories) को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण प्रदान करने हेतु की गयी थी। इसका कार्य, इन क्षेत्रों को स्वशासन तथा स्वतंत्रता के लिए तैयार करने हेतु पर्याप्त कदम उठाना था। ट्रस्टीशिप काउंसिल को 1 नवंबर, 1994 को समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि तब तक ये क्षेत्र स्व-शासन अथवा स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके थे।
- **अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice)**- यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। इसका मुख्यालय पीस पैलेस, हेग (नीदरलैंड) में स्थित है।
- **सचिवालय (Secretariat)**- इसमें महासचिव तथा संयुक्त राष्ट्र के उन हजारों अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों का वर्ग सम्मिलित है जो महासभा तथा संगठन के अन्य प्रमुख अंगों द्वारा निर्दिष्ट UN के दैनिक कार्यों को पूरा करते हैं।

अन्य सम्बंधित तथ्य

- हाल ही में, भारत तीन वर्ष के कार्यकाल हेतु ECOSOC में पुनः निर्वाचित हुआ है ।
- यह 12 अन्य सदस्य देशों के साथ UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल (ECOSOC) की कमिटी फॉर प्रोग्राम एंड कोऑर्डिनेशन (CPC) में भी पुनः निर्वाचित हुआ है।

कमिटी फॉर प्रोग्राम एंड कोऑर्डिनेशन (CPC)

- यह UN ECOSOC तथा UN जनरल असेंबली फॉर प्लानिंग, प्रोग्रामिंग एंड कोऑर्डिनेशन हेतु मुख्य सहायक अंग है।
- इसकी स्थापना ECOSOC द्वारा एक प्रस्ताव के तहत की गयी थी।

6.2. संयुक्त राष्ट्र भागीदारी निधि

(UN Partnership Fund)

सुर्ख़ियों में क्यों?

2017 में **'विकास गतिविधियों हेतु संयुक्त राष्ट्र संकल्प सम्मेलन** (UN Pledging Conference for Development Activities)' का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत भारत ने UN साझेदारी निधि में 100 मिलियन अमरीकी डॉलर की अतिरिक्त सहायता देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास भागीदारी निधि (UNDPF)

- यह **दक्षिण-दक्षिण सहयोग हेतु संयुक्त राष्ट्र कोष** के अंतर्गत स्थापित एक समर्पित सुविधा है। इसका निर्माण 2017 में किया गया।
- यह विकासशील विश्व में दक्षिणी देशों के स्वामित्व और नेतृत्व वाली, मांग-संचालित तथा रूपांतरकारी संधारणीय विकास परियोजनाओं का समर्थन करती है। इन परियोजनाओं का ध्यान मुख्यतः अल्प विकसित देशों तथा विकासशील लघु द्वीपीय देशों पर केंद्रित है।
- दक्षिण-दक्षिण सहयोग हेतु संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNOSSC) को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा

VISION IAS

स्थापित किया गया था। इसे वर्ष **1974 से UNDP** द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसे वैश्विक स्तर पर और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के व्यापक आधार पर दक्षिण-दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग (दक्षिण-दक्षिण-उत्तर देशों के मध्य भागीदारी और सहयोग) का समर्थन और समन्वय करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था।

विवरण

- इस निधि की प्रथम परियोजना को सात प्रशांत द्वीपीय देशों के साथ साझेदारी के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इस भागीदारी निधि द्वारा 15 अन्य परियोजनाओं की पहचान भी की गई है।
- भारत द्वारा UN के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 10.582 मिलियन अमरीकी डॉलर की सहायता भी प्रदान की जा रही है।
- भारत के इस योगदान ने विकासशील देशों में संधारणीय विकास परियोजनाओं हेतु इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि की है।

दक्षिण-दक्षिण सहयोग (South-South Cooperation: SSC)

- यह **विकास की एक पद्धति** है। इसका लक्ष्य बहुमुखी विकास की गति को तीव्र करना है। इसके लिए दक्षिण के देशों के मध्य विभिन्न एजेंसियों यथा सरकारों, नागरिक समाज संगठनों आदि के माध्यम से ज्ञान, अनुभव, तकनीक, निवेश, सूचना और क्षमता के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान की जाती है।

6.3. UN-हैबिटेट

(UN-Habitat)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत को सर्वसम्मति से UN-हैबिटेट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। UN-हैबिटेट संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है। यह समग्र विश्व में स्थायी मानवीय बस्तियों के निर्माण को बढ़ावा दे रहा है।

- भारत की ओर से, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री अगले दो वर्षों के लिए UN-हैबिटेट की गवर्निंग काउंसिल (GC) की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। UN-हैबिटेट की गवर्निंग काउंसिल के सदस्यों की संख्या 58 है।
- **UN-हैबिटेट** की स्थापना **वर्ष 1978** में की गयी थी। वर्ष 1988 और वर्ष 2007 के पश्चात यह **तीसरा अवसर** है जब भारत को इस संगठन का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है।

UN-हैबिटेट के सम्बन्ध में:

- **द यूनाइटेड नेशन्स ह्यूमन सेटलमेंट्स प्रोग्राम (UN-हैबिटेट)** मानव बस्तियों और सतत शहरी विकास के लिए **UN एजेंसी है।**
- इसकी स्थापना वर्ष 1976 में कनाडा के वैंकूवर में **ह्यूमन सेटलमेंट एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट (हैबिटैट-I)** पर आयोजित प्रथम संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के परिणामस्वरुप की गई थी।
- UN-हैबिटेट का मुख्यालय **नैरोबी, केन्या में** संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय में स्थित है।
- इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सभी के लिए पर्याप्त आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ-साथ सामाजिक और पर्यावरण की दृष्टि से धारणीय कस्बों और शहरों को बढ़ावा देने का अधिदेश प्रदान किया गया है।
- यह **यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप** का सदस्य है।
- वर्ष 1996 में तुर्की के इस्तांबुल में हुए **यूनाइटेड नेशन्स कांफ्रेंस ऑन ह्यूमन सेटलमेंट (हैबिटैट II)** द्वारा अपनाए गए हैबिटेट एजेंडा से UN-हैबिटेट को अधिदेश प्राप्त होता है।

VISION IAS

6.4. शंघाई सहयोग संगठन (SCO)

(Shanghai Cooperation Organisation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

क़ज़ाख़स्तान के अस्ताना शहर में जून, 2017 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाईजेशन (SCO) सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में भारत तथा पाकिस्तान को SCO के पूर्णकालिक सदस्यों के रूप में शामिल किया गया।

SCO के बारे में

- यह एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना की घोषणा 2001 में शंघाई (चीन) में क़ज़ाख़स्तान, चीन, किर्गिज गणराज्य, रूस, ताजिकिस्तान एवं उज़्बेकिस्तान द्वारा की गई थी।
- इसकी स्थापना 'शंघाई फाइव मैकेनिज्म' के उपरांत की गयी।
- इसके मुख्य लक्ष्य हैं: सदस्य राष्ट्रों के मध्य आपसी विश्वास एवं भातृत्व की भावना को सुदृढ़ करना तथा राजनीति, व्यापार, अर्थव्यवस्था, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी एवं संस्कृति के साथ-साथ शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन एवं पर्यावरण संरक्षण में उनके प्रभावी सहयोग को प्रोत्साहन देना।
- SCO में हेड्स ऑफ़ स्टेट काउंसिल (HSC) निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है तथा काउंसिल ऑफ़ हेड्स ऑफ़ गवर्नमेंट संगठन में दूसरी सबसे बड़ी परिषद है। SCO की आधिकारिक भाषाएँ रूसी एवं चीनी हैं।
- संगठन में दो स्थायी निकाय हैं- बीजिंग में स्थित SCO सचिवालय तथा ताशकंद में स्थित रीजनल एंटी-टेररिस्ट स्ट्रक्चर (RATS) की कार्यकारी समिति।

6.5. ब्रिक्स

(BRICS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

9वें BRICS सम्मेलन, 2017 का आयोजन चीन के शियामेन (Xiamen) में हुआ।

शियामेन घोषणापत्र (Xiamen declaration):

'स्ट्रांगर पार्टनरशिप फॉर ए ब्राइटर फ्यूचर' थीम पर ध्यान केंद्रित करते हुए नेताओं ने इस वर्ष के एजेंडे की रूपरेखा के साथ-साथ राष्ट्रों द्वारा इस पर कार्य करने हेतु सहमति से सम्बंधित एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया।

शियामेन घोषणापत्र के मुख्य बिंदु

आतंकवाद का मुद्दा (Issue of terrorism):

- BRICS नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा **काम्प्रीहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म (CCIT)** को तत्काल अंतिम रूप देने और अपनाने की मांग की है।

काम्प्रीहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म
(Comprehensive Convention on International Terrorism CCIT)

- **CCIT को सर्वप्रथम** 1996 में भारत द्वारा प्रस्तावित किया गया था।
- इसमें आतंकवाद की सार्वभौम परिभाषा, धन एवं सुरक्षित आश्रयों तक आतंकवादी समूहों की पहुंच को समाप्त करने के उपाय और सीमा-पार आतंकवाद को एक प्रत्यर्पण करने योग्य अपराध बनाने के लिए घरेलू कानूनों में संशोधन करना शामिल है।

- BRICS **कॉन्टिनजेंट रिज़र्व अरेंजमेंट (CRA),** BRICS वित्तीय सहयोग एवं विकास के लिए एक मील का पत्थर है। यह वैश्विक वित्तीय स्थिरता में भी सहयोग प्रदान करता है।

BRICS कांटिनजेंट रिज़र्व सिस्टम (CRA) एक फ्रेमवर्क है जो वास्तविक या संभावित अल्पकालिक भुगतान संतुलन दबावों की प्रतिक्रिया में तरलता और निवारक उपकरणों के माध्यम से समर्थन का प्रावधान करता है। यह 2015 में BRICS देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा स्थापित किया गया था।

6.5.1. BRICS मेकेनिज्म के तहत एक्ज़िम बैंक द्वारा हस्ताक्षरित समझौते

(Pacts Signed by Exim Bank Under BRICS Mechanism)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, कैबिनेट ने BRICS इंटर-बैंक कोऑपरेशन मैकेनिज्म के अंतर्गत एक्ज़िम बैंक को **इंटर-बैंक लोकल करेंसी क्रेडिट लाइन एग्रीमेंट** और **कोऑपरेशन मेमोरेंडम रिलेटिंग टू क्रेडिट रेटिंग** पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी।

एक्जिम बैंक (Exim Bank)

- यह भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को वित्त उपलब्ध कराता है तथा सुविधाएँ एवं प्रोत्साहन प्रदान करता है। यह व्यापार के विभिन्न चरणों में प्रतिस्पर्धी वित्त प्रदान करता है।
- एक्ज़िम बैंक ऑफ-शोर मार्केट में विविध मुद्राओं के माध्यम से संसाधनों को बढ़ाता है तथा जोखिम को कम करने के लिए विनिमय करता है।

BRICS इंटर-बैंक कोऑपरेशन मैकेनिज्म (BRICS Interbank Co-operation Mechanism)

- इसकी स्थापना 2010 में BRICS देशों के पांच बैंकों द्वारा की गई थी तथा इसका उद्देश्य सदस्य देशों और उद्यमों के बीच आर्थिक और निवेश सहयोग को विकसित एवं मजबूत करना था।
- यह पारस्परिक पुनरुत्थान एवं सशक्तिकरण के उद्देश्य के साथ सदस्य देशों के विकास बैंकों के बीच बहुआयामी व्यवसायों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

इंटर-बैंक लोकल करेंसी क्रेडिट लाइन एग्रीमेंट (Interbank Local Currency Credit Line Agreement)

- यह एक गैर-बाध्यकारी अम्ब्रेला एग्रीमेंट है। यह हस्ताक्षरकर्ता देशों में प्रचलित राष्ट्रीय कानूनों, विनियमनों और आंतरिक राजनीति के अधीन रहते हुए उन्हें सदस्य बैंकों के साथ द्विपक्षीय समझौते करने में सक्षम बनाएगा।
- लोकल करेंसी का प्रयोग परस्पर लाभदायक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देगा, मुद्रा संबंधी जोखिमों को कम करेगा, व्यापार में वृद्धि करेगा और कंपनियों की BRICS बाजारों तक पहुँच बढ़ाने में सहायता करेगा।

VISION IAS

6.6.मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम

(Multilateral Export Control Regimes)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, भारत ने वासेनार अरेंजमेंट तथा ऑस्ट्रेलिया ग्रुप की सदस्यता प्राप्त की।

विवरण

विश्व में 4 मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम विद्यमान हैं। भारत इनमें से न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप (NSG) के अतिरिक्त शेष 3 समूहों का सदस्य है जबकि चीन NSG के अतिरिक्त अन्य किसी भी समूह का सदस्य नहीं है।

वासेनार अरेंजमेंट (Wassenaar Arrangement) क्या है?

- यह एक बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था (MECR) है। यह परंपरागत हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं एवं प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण में **पारदर्शिता तथा जवाबदेही को बढ़ावा** देती है।
- इसे 1996 में शीत युद्ध काल के बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण हेतु समन्वयक समिति (CoCom) के परवर्ती के रूप में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित है।
- नवीनतम सदस्य भारत सहित इसकी कुल सदस्य संख्या 42 है। चीन के अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी सदस्य देश वासेनार अरेंजमेंट के हस्ताक्षरकर्ता हैं।
- यह **वासेनार नियंत्रण सूची** के अनुसार कार्य करता है जिसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि सदस्य देशों द्वारा संवेदनशील दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं एवं प्रौद्योगिकियों पर सूचनाओं का आदान-प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की गई है। साथ ही ऐसे आदान-प्रदान पर रिपोर्ट देने और गैर-भागीदारों को नियंत्रित मदों (items) के हस्तांतरण से मना करने के विषय में भी सहमति व्यक्त की गई है।

ऑस्ट्रेलिया समूह (Australia Group) क्या है ?

- इसकी स्थापना 1985 में, ईरान-इराक़ युद्ध (1980-1988) के दौरान इराक़ द्वारा किये गए रासायनिक हथियारों के प्रयोग के पश्चात की गई।
- यह **बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था** है। यह 43 देशों (यूरोपीय संघ सहित) का एक अनौपचारिक मंच है। यह निर्यात नियंत्रण में सामंजस्य स्थापित कर यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि **रासायनिक या जैविक हथियारों के विकास में निर्यात के माध्यम से योगदान न दिया जाए।**
- यह राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण उपायों में समन्वय स्थापित करता है। साथ ही यह सदस्य देशों द्वारा **केमिकल वेपन्स कन्वेंशन तथा बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन** में निर्धारित उनके दायित्वों की पूर्ति में सहायता प्रदान करता है।
- यह **ऑस्ट्रेलिया समूह की सामान्य नियंत्रण सूची** जारी करता है। यह सूची रासायनिक हथियारों की पूर्वगामी तकनीकों, रासायनिक और जैविक तकनीकों के दोहरे प्रयोगों, मनुष्यों एवं जंतुओं के रोगाणुओं आदि से संबंधित होती है।

भारत एवं ऑस्ट्रेलिया समूह (India & Australia Group)

- भारत ने पिछले वर्ष अप्रैल में *स्पेशल केमिकल, ऑर्गैनिज़्म, मैटेरियल्स, इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजीज़ (SCOMET)* की सूची घोषित की थी।
- SCOMET सूची के माध्यम से भारत ने अपनी विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत दोहरे उपयोग की प्रौद्योगिकियों को सूचीबद्ध किया जिससे भारत के निर्यात नियंत्रणों को वासेनार अरेंजमेंट के समकक्ष लाया जा सके।

3. मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम (Missile Technology Control Regime-MTCR)

- यह 35 देशों की एक अनौपचारिक एवं स्वैच्छिक साझेदारी है। इसका लक्ष्य 500 किलोग्राम से अधिक पेलोड को 300 किलोमीटर से अधिक दूरी तक ले जाने में सक्षम मिसाइल एवं मानव रहित विमान प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना है।

VISION IAS

- इसकी स्थापना अप्रैल 1987 में G-7 देशों- कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम तथा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की गयी थी।

4. **न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप (Nuclear Suppliers Group)**

- यह परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों का एक समूह है। यह परमाणु निर्यातों एवं परमाणु-संबंधी निर्यातों के लिए दिशा-निर्देशों के दो समुच्चयों के कार्यान्वयन के माध्यम से परमाणु हथियारों के अप्रसार हेतु योगदान करने का प्रयास करता है।
- इन दिशा-निर्देशों में 1994 में अपनाया गया तथाकथित "अप्रसार सिद्धांत" भी सम्मिलित है। इस सिद्धांत के अंतर्गत कोई आपूर्तिकर्ता NSG दिशा-निर्देशों में अन्य प्रावधानों के होते हुए भी, किसी हस्तांतरण को केवल तब अधिकृत कर सकता है जब वह संतुष्ट हो कि यह हस्तांतरण परमाणु हथियारों के प्रसार में योगदान नहीं देगा।

केमिकल वेपन्स कन्वेंशन (Chemical Weapons Convention:CWC)

- यह एक बहुपक्षीय संधि है जो रासायनिक हथियारों के प्रयोग को प्रतिबंधित करती है तथा हथियारों को नष्ट करने के लिए एक नियत समय-सीमा निर्धारित करती है।
- इसे 1992 में, **संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सम्मेलन** में अंगीकृत किया गया तथा यह 1997 से प्रभावी हुआ।
- इसका क्रियान्वयन **ऑर्गेनाईजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ़ केमिकल वेपन्स (OPCW) द्वारा होता है**। OPCW का मुख्यालय हेग (नीदरलैंड) में है।
- **भारत द्वारा CWC पर 1993 में हस्ताक्षर किया गया** और यह 2009 तक अपने सभी रासायनिक हथियारों को नष्ट करने वाला विश्व का तीसरा देश (दक्षिण कोरिया और अल्बानिया के पश्चात) बन गया।
- **मिस्र, उत्तर कोरिया, फिलिस्तीन और दक्षिणी सूडान** ही ऐसे देश हैं जिन्होंने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं।
- **CWC निषिद्ध करता है :**
    - रासायनिक हथियारों का विकास, भण्डारण, प्राप्ति, संचयन, प्रतिधारण इत्यादि।
    - प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रासायनिक हथियारों का हस्तांतरण।
    - रासायनिक हथियारों का प्रयोग या इनके प्रयोग के संबंध में सैन्य तैयारी।
    - CWC की प्रतिबंधित गतिविधियों में अन्य देशों को संलग्न करने हेतु प्रेरित करना और सहायता प्रदान करना।
    - दंगा नियंत्रण अभिकारकों (riot control agents) का "युद्ध की पद्धति के तौर पर" प्रयोग करना।

बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन [Bilological and Toxin Weapons Convention (BTWC, BWC)]

- **यह कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है** जो जैविक हथियारों को गैर-कानूनी घोषित करती है।
- इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1972 में अंगीकृत और 1975 में लागू किया गया।
- **यह निम्नलिखित गतिविधियों को प्रतिबंधित करती है:**
- निम्नलिखित का विकास, प्रतिधारण, प्राप्ति, संचयन और उत्पादन:
    - जैविक अभिकर्ताओं तथा विषाक्त पदार्थों के उन प्रकारों एवं उस मात्रा का जिसे रोग प्रतिरोधकता, संरक्षण अथवा अन्य शांतिपूर्ण कार्यों के लिए न्यायोचित न ठहराया जा सके।
    - ऐसे हथियार, उपकरण और डिलिवरी वाहन जिनमें जैविक अभिकर्ताओं तथा विषैले पदार्थों का उपयोग किया गया हो तथा जिनका निर्माण सशस्त्र संघर्ष या शत्रुतापूर्ण उद्देश्यों हेतु किया गया हो।
- उपर्युक्त वर्णित हथियारों, विषैले पदार्थों, इसके अभिकर्ताओं और डिलीवरी वाहनों के हस्तांतरण और विकास में सहायता करना।
- भारत द्वारा इस अभिसमय पर 1973 में, हस्ताक्षर किये गये, जिसकी अभिपुष्टि 1974 में हुई।

VISION IAS

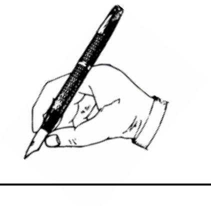

6.7. हेग कोड ऑफ़ कंडक्ट

(Hague Code of Conduct- HCoC)

- **HCoC या इंटरनेशनल कोड ऑफ़ कंडक्ट अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल प्रॉलिफेरेशन** को 2002 में स्थापित किया गया था।
- HCoC एक स्वैच्छिक, विधिक रूप से गैर-बाध्यकारी, अंतर्राष्ट्रीय आत्मविश्वास निर्माण एवं पारदर्शिता मापक है। इसका उद्देश्य वेपन्स ऑफ़ मास डिस्ट्रक्शन (WMD) को ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रसार को रोकना है।
- यह कोड **मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम (MTCR) का पूरक** है।
- इस कोड के अंतर्गत, सदस्य देश WMD-सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रसार तथा ऐसी मिसाइलों के विकास, परीक्षण व तैनाती पर कठोर प्रतिबंध लगाने हेतु राजनीतिक रूप से बाध्यकारी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं।
- यह कोड राष्ट्रों के मध्य एक समझौता है कि उन्हें किस प्रकार अपनी मिसाइलों से सम्बंधित व्यापार "संचालित" करना चाहिए और इसमें मिसाइलों को नष्ट करने संबंधी प्रावधान शामिल नहीं है।
- भारत 1 जून 2016 को HCoC का सदस्य बना। HCoC के कुल हस्ताक्षरकर्ताओं की संख्या 138 है।
- चीन, पाकिस्तान, इज़राइल तथा ईरान इसके सदस्य नहीं हैं।

6.8. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश का पुनर्निर्वाचन

(Indian Jugde Re-Elected at ICJ)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, न्यायमूर्ति दलबीर भंडारी को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस: ICJ) के न्यायाधीश के रूप में पुनःनिर्वाचित किया गया।

विवरण

- संयुक्त राष्ट्र संघ के 70 वर्षों के इतिहास में यह पहली बार है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों के पैनल में ब्रिटेन का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा।
- यह पहली बार है जब UNSC के पाँच स्थायी सदस्यों में से किसी एक को इस प्रतिस्पर्द्धा में एक सामान्य सदस्य के कारण अपनी सीट गँवानी पड़ी।
- यह भी प्रथम बार है जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का एक पीठासीन सदस्य (sitting member) दूसरे पीठासीन सदस्य से पराजित हुआ हो।
- श्री भंडारी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए चुने जाने वाले चौथे भारतीय न्यायाधीश हैं। इससे पूर्व बी. एन. राव, नागेंद्र सिंह और आर. एस. पाठक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं।

विशेषता	इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस (ICJ)	इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC)
स्थापना वर्ष	1946	2002
UN से संबंध	संयुक्त राष्ट्र संघ का आधिकारिक न्यायालय। इसे सामान्यतः "वर्ल्ड कोर्ट" के रूप में संदर्भित किया जाता है।	यह स्वतंत्र न्यायालय है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा ICC को मामले भेजे (referrals) जा सकते हैं। हालाँकि यह संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई या रेफरल के बिना भी अभियोजन प्रारंभ कर सकता है।

VISION IAS

अवस्थिति	पीस पैलेस, द हेग, नीदरलैंड	द हेग, नीदरलैंड
अधिकार-क्षेत्र	संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश (अर्थात् राष्ट्रीय सरकारें)	व्यक्ति (Individuals)
मामलों के प्रकार	1. पक्षों के मध्य विवाद, 2. सलाहकारी मत	व्यक्तियों पर आपराधिक मुकदमा चलाना
विषय-वस्तु	संप्रभुता, सीमा विवाद, समुद्री विवाद, व्यापार, प्राकृतिक संसाधन, मानवाधिकार, संधि उल्लंघन, संधि की व्याख्या एवं अन्य मामले	नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध, आक्रामकता संबंधी अपराध
अधिकृत विधिक तंत्र	अनुच्छेद 93 के तहत UN चार्टर को अनुमोदित करने वाले राष्ट्र ICJ संविधि (Statute) के पक्षकार बन जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र के गैर-सदस्य राष्ट्र भी ICJ संविधि की संपुष्टि करके ICJ के पक्षकार बन सकते हैं। प्रत्येक राज्य को स्पष्ट समझौते, घोषणा अथवा संधि उपनियम द्वारा किसी भी विवादास्पद मामले में सहमति प्रदान करनी होती है।	रोम संविधि (**भारत ने रोम संविधि** पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं)
अपील	कोई नहीं। विवादास्पद मामले में ICJ द्वारा दिया गया निर्णय पक्षों पर बाध्यकारी होता है। यदि कोई राष्ट्र निर्णय का अनुपालन करने में विफल होता है, तो यह मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ले जाया जा सकता है, जिसके पास प्रवर्तन की समीक्षा करने, उसकी सिफारिश करने एवं निर्णय लेने का प्राधिकार है।	अपीलीय चैंबर। रोम संविधि का अनुच्छेद 80, एक निर्दोष प्रतिवादी की लंबित अपील के प्रतिधारण (retention) की अनुमति देता है।

6.9. अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन

(International Maritime Organisation: IMO)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत को दो वर्षों (2018-19) के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) की परिषद में पुनर्निर्वाचित किया गया है। इसे श्रेणी "B" के अंतर्गत सदस्यता प्रदान की गयी है।

महत्वपूर्ण सम्मेलन (Important Conventions)

- ***इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ़ शिप्स' बैलास्ट वाटर एंड सेडिमेंट्स (BWM):*** यह सितंबर 2017 में प्रभाव में आया। इसका उद्देश्य जहाजों के बैलास्ट वाटर (जहाज़ों को स्थिर बनाए रखने हेतु भार के रूप में रखा गया जल) एवं गाद के प्रबंधन हेतु मानक स्थापित करना है। इन मानकों द्वारा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हानिकारक जलीय जीवों के प्रसार को रोका जा सकेगा।
- ***इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल लिबर्टी फॉर बंकर ऑइल पॉल्यूशन डैमेज (BUNKER):*** इसका उद्देश्य बंकरों में तेल ले जाने वाले जहाज़ों से हुए तेल के रिसावों के कारण होने वाली क्षति से

VISION IAS

प्रभावित लोगों को पर्याप्त, त्वरित व प्रभावी क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराना है।

- ***इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ़ लाइफ एट सी (SOLAS),* 1974:** इसका उद्देश्य जहाजों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त न्यूनतम मानकों का निर्धारण करना है। इसके अंतर्गत जहाज निर्माण, संबंधित उपकरणों व जहाज संचालन हेतु मानकों का निर्धारण सम्मिलित है।

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (International Maritime Organisation)

- IMO **संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी** है। यह स्वच्छ महासागर में **सुरक्षित, सुदृढ़ और कुशल पोत-परिवहन** हेतु प्रतिबद्ध है। यह उचित, प्रभावी एवं वैश्विक रूप से स्वीकृत विनियामकीय रूपरेखा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- इसका मुख्यालय **लंदन** में स्थित है। **IMO में 172 सदस्य व तीन सहायक सदस्य शामिल** हैं।

भारत तथा IMO

- भारत IMO के आरंभिक सदस्यों में से एक है। इसने 34 से अधिक IMO सम्मेलनों व प्रोटोकॉल्स की अभिपुष्टि की है। इसने 1959 में IMO की सदस्यता प्राप्त की थी।
- भारत, IMO को आवश्यकता पड़ने पर **विशेषज्ञ श्रमशक्ति** प्रदान करता है। उदाहरण के लिए भारतीय लेखा परीक्षक, ***वालंटियरी IMO मेम्बर स्टेट ऑडिट स्कीम (VIMSAS)*** में अपनी सेवाएँ प्रदान करते हैं।

भारत की समुद्री पहलें (India's Maritime Initiatives)

- व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा हेतु **SOLAS कन्वेंशन** की पुष्टि।
- IMO तथा कांटेक्ट ग्रुप ऑन पायरेसी ऑन द कोस्ट ऑफ़ सोमालिया (CGPCS) के साथ मिलकर हिंद महासागर के उच्च जोखिम क्षेत्र में सक्रिय पहल।
- भारत ने ILO को **सीफेरर आइडेंटी डाक्यूमेंट्स कन्वेंशन (संशोधित), 2003** व **मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन, 2006** के संदर्भ में *इंस्ट्रूमेंट ऑफ़ रेटीफिकेशन* प्रस्तुत किया है।

6.10. अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक

[African Development Bank (AfDB)]

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक की 52वीं वार्षिक बैठक गांधीनगर, गुजरात में संपन्न हुई।

बैठक के बारे में

- यह प्रथम अवसर था, जब **AfDB** की वार्षिक बैठक का आयोजन भारत में किया गया।
- अफ्रीका में कृषि के महत्व तथा इस बैंक के विकास कार्यों को दर्शाते हुए, वर्ष 2017 की इस वार्षिक बैठक की थीम **"ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर फॉर वेल्थ क्रिएशन इन अफ्रीका"** थी।

VISION IAS

AfDB के बारे में

- **AfDB** या बैंक अफ्रिकेन डी डेवलपमेंट (Banque Africaine de Developpment-BAD) एक **मल्टीलैटरल डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन (बहुपक्षीय विकास वित्त संस्था)** है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1964 में हुई थी तथा इसमें तीन संस्थाएं शामिल हैं: अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, अफ्रीकन डेवलपमेंट फण्ड और नाइजीरिया ट्रस्ट फंड।
- इसका लक्ष्य गरीबी का सामना करना है, साथ ही इस क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में योगदान देने वाली परियोजनाओं और कार्यक्रमों में सार्वजनिक और निजी पूंजी निवेश को बढ़ावा देते हुए महाद्वीप में निवास करने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है।
- गांधीनगर में आयोजित की गई बैठक अफ्रीका से बाहर आयोजित की जाने वाली AfDB की वार्षिक बैठकों में चौथी बैठक है। AfDB की अगली बैठक का आयोजन वर्ष 2018 में दक्षिण कोरिया के बुसान में किया जाएगा।
- भारत, वर्ष 1983 में **AfDB** में शामिल हुआ। भारत इस बैंक का एक गैर-क्षेत्रीय सदस्य है।

7. अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

(International Events)

7.1. क्वाड्रीलैटरल बैठक

(Quadrilateral Meeting)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के वरिष्ठ अधिकारियों ने एसोसिएशन ऑफ़ साउथ-ईस्ट एशियन नेशन्स और ईस्ट एशिया समिट के दौरान, क्षेत्रीय और वैश्विक सहयोग के लिए मनीला में इससे अलग एक पृथक बैठक भी की।

क्वाड्रीलैटरल क्या है?

- यह नाटो (NATO) की भाँति एक सैन्य गठबंधन न होकर एक अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता मंच है।
- इसे एक सामरिक निवारक (strategic deterrence) के साथ-साथ क्षेत्रीय शक्तियों को बेहतर विकल्प उपलब्ध कराने वाले तंत्र के रूप में देखा जा रहा है।

विवरण

- इसकी विषयवस्तु **"फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक"** पर केंद्रित थी।

पृष्ठभूमि

- 2007 में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने एशियाई लोकतान्त्रिक देशों के एक साथ मिलकर कार्य करने का विचार प्रस्तुत किया था। **न्याय संगत वैश्विक व्यवस्था, उदार व्यापार प्रणाली तथा नौवहन की स्वतंत्रता** आदि में तटीय सीमा वाले लोकतांत्रिक देशों के हित शामिल होते हैं।
- मई 2007 में इन चार देशों ने **आसियान क्षेत्रीय फोरम की बैठक** के दौरान उससे इतर पहली बार एक नई क्वाड्रीलैटरल वार्ता बैठक का आयोजन किया था।

7.2. भारत एवं प्रशांत महासागरीय द्वीपसमूह के मध्य संधारणीय विकास पर सम्मेलन

(India-Pacific Islands Sustainable Development Conference)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विदेश मंत्रालय द्वारा भारत और प्रशांत द्वीपीय देशों के बीच संधारणीय विकास पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया।

सम्मेलन के बारे में

- इस सम्मेलन का आयोजन फोरम फॉर इंडियन-पैसिफिक आइलैंड्स को-ऑपरेशन (FIPIC) द्वारा किया गया; द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टिट्यूट (TERI) इसका प्रमुख नॉलेज पार्टनर था।
- इसमें ब्लू इकॉनमी, जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु शमन (mitigation) प्रयासों, आपदा सम्बन्धी तैयारी, स्वास्थ्य, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे मुद्दों पर तथा नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रिब्यूशन (NDC) के क्रियान्वयन का व्यावहारिक समाधान खोजने पर ध्यान केन्द्रित किया गया।

FIPIC के बारे में

- FIPIC का गठन नवंबर 2014 में प्रशांत द्वीपीय देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने के लिए किया गया था।
- सरकार के प्रमुखों के स्तर का पहला FIPIC शिखर सम्मेलन नवंबर 2014 में फिजी के सुवा में आयोजित किया गया था। भारत में अगस्त 2015 में जयपुर में FIPIC के दूसरे शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था।

VISION IAS

- इसमें भारत और 14 प्रशांत द्वीपीय देश शामिल हैं। इनमें टोंगा, कुक द्वीप समूह, तुवालु, नाउरू, किरिबाती, वानूआतू, सोलोमन द्वीप, समोआ, नीयू, पलाऊ, माइक्रोनेशिया, मार्शल द्वीप, फिजी और पापुआ न्यू गिनी सम्मिलित हैं।

7.3. परमाणु हथियार निषेध संधि

(Nuclear Weapon Prohibition Treaty: NWPT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- संयुक्त राष्ट्र के 120 से ज्यादा देशों ने परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध से संबंधित पहली वैश्विक संधि की स्वीकृति के लिए मतदान किया।

विवरण

- नई संधि परमाणु हथियारों के **उत्पादन, भंडारण और उपयोग से संबंधित गतिविधियों की पूरी श्रृंखला को प्रतिबंधित** करती है।
- इस संधि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रावधान अनुच्छेद 1(d) है जो **किसी भी परिस्थिति में परमाणु हथियारों के प्रयोग या उसके प्रयोग की धमकी पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध** लगाता है।
- सभी देशों के हस्ताक्षर के लिए यह संधि सितंबर 2017 में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में प्रस्तुत की गयी। कम से कम 50 देशों द्वारा अनुमोदित किए जाने के पश्चात 90 दिनों के अंदर यह संधि प्रभावी हो जाएगी।
- भारत एवं अन्य परमाणु-हथियार संपन्न देशों: संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इज़राइल ने वार्ताओं में हिस्सा नहीं लिया था।

भारत की स्थिति

- भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि जेनेवा स्थित कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेण्ट (Conference on Disarmament :CD) नि:शस्त्रीकरण पर चर्चा के लिए एकमात्र बहुपक्षीय मंच है।

कांफ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट (CD)

- इसे 1979 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एकल बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण वार्ता मंच के रूप में गठित किया गया था।
- यह टेन-नेशन कमिटी ऑन डिसआर्मामेंट (TNDC), जेनेवा, 1960; द एटीन-नेशन कमिटी ऑन डिसआर्मामेंट (ENDC), जेनेवा, 1962-68 और द कांफ्रेंस ऑफ़ द कमिटी ऑन डिसआर्मामेंट (CCD), जेनेवा, 1969-78 का उत्तरवर्ती सम्मेलन है।
- CD और इसके पूर्ववर्ती सम्मेलनों में परमाणु अप्रसार संधि (NPT), एनवायरनमेंटल मॉडिफिकेशन एंड सीबेड ट्रीटीज, द बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन कन्वेंशन (BTWC) इत्यादि जैसे बहुपक्षीय हथियार नियंत्रण, अप्रसार और निरस्त्रीकरण समझौतों पर वार्ता की गई है।
- भारत इसके 65 सदस्यों में से एक है।

7.4. ईरान परमाणु समझौता

(Iran Nuclear Deal)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि वह ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते को औपचारिक रूप से **अप्रमाणित (decertify)** अर्थात समाप्त कर रहे हैं।

ईरान परमाणु समझौता क्या है?

- **ईरान और P5+1** (सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्य और जर्मनी) के बीच 2015 में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए जिसके तहत ईरान द्वारा **संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA)** पर

VISION IAS

सहमति प्रदान की गई। JCPOA पर ईरान की सहमति के पश्चात उस पर लगे हुए आर्थिक प्रतिबंध हटा लिए गए थे।

- यह समझौता सुनिश्चित करता है कि ईरान अपनी **यूरेनियम संवर्द्धन क्षमता व स्तर, संवर्द्धित भण्डार और सेंट्रीफ्यूज** कम करेगा तथा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को आवश्यक निरीक्षण व निगरानी की अनुमति प्रदान करेगा।
- **अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA)** ने 31 अगस्त 2017 को अपनी तिमाही रिपोर्ट में प्रमाणित किया था कि ईरान ने JCPOA का अनुपालन किया है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया था कि ईरान के निम्न-संवर्द्धित यूरेनियम के भंडार व **संवर्द्धन** हेतु बनाए गए सेंट्रीफ्यूज परमाणु समझौते के तहत निर्धारित मापदंडों के अनुरूप हैं।

7.5. कजाखस्तान में यूरेनियम बैंक

(Uranium bank in Kazakhstan)

सुर्खियों में क्यों ?

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) ने कजाखस्तान के ओस्केमेन शहर में *लो एनरिच्ड यूरेनियम* (LEU) के लिए एक यूरेनियम बैंक स्थापित किया है। इससे नए देशों के द्वारा परमाणु ईंधन संवर्द्धन के प्रयासों को हतोत्साहित किया जा सकेगा।

विवरण

- परियोजना को संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात तथा नॉर्वे द्वारा परमाणु खतरे से निपटने संबंधी प्रयासों के अंतर्गत वित्त पोषित किया गया है।
- यह 90 टन तक ईंधन का भण्डारण करेगा और अगर किसी असाधारण स्थिति में परमाणु ऊर्जा संयंत्र में LEU की आपूर्ति बाधित हो जाती है और सदस्य देश वाणिज्यिक बाजार या किसी अन्य माध्यम से यूरेनियम प्राप्त करने में असमर्थ है तो यह बैंक यूरेनियम की आपूर्ति करेगा।
- IAEA बैंक का संचालन किसी भी देश से स्वतंत्र रहते हुए करेगा। यह नागरिक परमाणु रिएक्टरों के लिए *लो एनरिच्ड यूरेनियम* ईंधन का क्रय करेगा और इसका भण्डारण करेगा। परमाणु हथियारों के विकास हेतु इसका प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।
- एक सदस्य देश को IAEA-LEU बैंक से LEU खरीदने के लिए आवश्यक है कि उसका IAEA के साथ एक व्यापक सुरक्षा समझौता होना चाहिए। साथ ही, उस देश के द्वारा सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर भी IAEA को संतुष्ट होना चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी

- यह परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए विश्व का प्रमुख अंतरसरकारी मंच है।
- यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
- यह परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कुशलता पूर्वक, सुरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र के स्थायी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान करता है।
- इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है।
- भारत IAEA का सदस्य है।

7.6. वित्तीय कार्यवाही कार्यबल (FATF) निगरानी-सूची

(FATF Watch-List)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वित्तीय कार्यवाही कार्यबल (FATF) द्वारा पाकिस्तान को जून से अपनी आतंकवादी वित्तपोषण निगरानी सूची या "ग्रे लिस्ट (grey list)" में डालने की संभावना है।

VISION IAS

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF)

- यह 1989 में स्थापित एक अंतर-सरकारी संस्था है और यह पेरिस में OECD के मुख्यालय में स्थित है।
- वर्तमान में इसके 37 सदस्य हैं (भारत सहित)|
- इसका उद्देश्य मनी लॉन्डरिंग (money laundering) एवं आतंकी वित्तपोषण का मुकाबला करने और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की शुचिता को बनाए रखने से संबंधित अन्य खतरों से निपटने के लिए कानूनी, नियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना और मानदंडों को निर्धारित करना है।

अन्य सम्बंधित तथ्य

- किसी देश को "ग्रे लिस्ट " में डालने का अर्थ उस पर प्रत्यक्ष कानूनी या दण्डात्मक कार्रवाई नहीं है, बल्कि निगरानी रखने वालों, नियामकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा जाँच में की गई वृद्धि है।
- 2010 में एशिया-प्रशांत समूह (APG) द्वारा विस्तृत आकलन और इस्लामाबाद द्वारा आतंकी वित्तपोषण को रोकने के लिए की जाने वाली अनुवर्ती कार्रवाई में कमी के कारण, पाकिस्तान पहले ही 2012 से 2015 तक FATF की 'ग्रे सूची' में रह चुका है।
- अब पाकिस्तान को मई के अंत तक आतंकी वित्तपोषण और मनी लॉन्डरिंग को रोकने के लिए FATF के समक्ष एक कार्य योजना प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- यदि इस्लामाबाद उचित कार्यवाही करने में विफल रहता है तो FATF उत्तर कोरिया और ईरान के साथ पाकिस्तान को भी अपनी “ब्लैकलिस्ट” या "गैर-सहयोगी देशों या क्षेत्रों" (NCCTs) की श्रेणी में डाल सकता है।

7.7. पोलर सिल्क रोड

(Polar Silk Road)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, चीन ने अपने पहले आधिकारिक **'आर्कटिक पॉलिसी व्हाइट पेपर'** को जारी किया, जिसमें पोलर सिल्क रोड के लिए उसकी महत्वाकांक्षा को रेखांकित किया गया है।

आर्कटिक काउंसिल

- इसे 1966 में, आर्कटिक राज्यों के बीच सहयोग, समन्वय और संपर्क को बढ़ावा देने वाले एक अंतरसरकारी मंच के रूप में स्थापित किया गया था।
- आर्कटिक काउंसिल एक उच्च स्तरीय अंतरसरकारी मंच है, जो आर्कटिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों और आर्कटिक सरकारों के मुद्दों का समाधान करता है।
- **सदस्य:** कनाडा, किंगडम ऑफ़ डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका इसके सदस्य हैं।
- **भारत और चीन** को इसमें पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है|

नीति के महत्वपूर्ण पहलू

- आर्कटिक जलमार्गों का विकास, जिनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण परिवहन मार्ग बनने की संभावना है। इसे **"पोलर सिल्क रोड"** के रूप में जाना जाता है।
- चीन का उद्देश्य आर्कटिक क्षेत्र में तेल, गैस, खनिज और अन्य अजैविक संसाधनों का अन्वेषण एवं दोहन करना है क्योंकि इस क्षेत्र में भूतापीय, पवन एवं अन्य स्वच्छ ऊर्जा संसाधनों की प्रचुरता है।

VISION IAS

7.8. तापी गैस पाईपलाइन

(Tapi Gas Pipeline)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रस्तावित 1,814 किलोमीटर लंबी तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत (तापी) गैस पाइपलाइन से संबंधित स्टीयरिंग कमेटी की आगामी बैठक की मेजबानी भारत द्वारा की जाएगी।

तापी के बारे में

- यह पाइपलाइन विश्व के दूसरे सबसे बड़े प्राकृतिक गैस क्षेत्र गलकीनाइश (तुर्कमेनिस्तान) से प्रारंभ होगी। हैरात व बलूचिस्तान होते हुए भारत में पंजाब सीमा तक यह लगभग 1,700 किमी से अधिक की दूरी तय करेगी।
- इस परियोजना को **एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB)** द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है और भारत द्वारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को पारगमन शुल्क (TRANSIT FEE) प्रदान किया जाएगा।
- तापी पाइपलाइन की क्षमता अगले 30 वर्षों तक प्रतिदिन 90 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (MSCMD) गैस सप्लाई करने की है। यह पाइपलाइन 2018 में कार्य करना प्रारंभ कर देगी।
- भारत और पाकिस्तान, प्रत्येक को 38 MSCMD गैस प्राप्त होगी जबकि शेष 14 MSCMD गैस अफगानिस्तान को सप्लाई की जाएगी।

एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB)

- 1960 के दशक के प्रारम्भ में एक ऐसी वित्तीय संस्था के रूप में इसकी परिकल्पना की गई जो प्रकृति में एशियाई होगी और आर्थिक विकास और सहयोग को प्रोत्साहित करेगी।
- बहुपक्षीय विकास वित्त संस्था के रूप में ADB ऋण, तकनीकी सहायता और अनुदान प्रदान करता है।
- इसकी ग्राहक सदस्य सरकारें हैं जो इसकी शेयरधारक भी हैं। इसके अतिरिक्त, यह इक्विटी निवेश और ऋण के माध्यम से विकासशील सदस्य देशों के निजी उद्यमों को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करता है।
- इसके 67 सदस्य (भारत सहित) हैं जिनमें से 48 एशिया और प्रशांत क्षेत्र से हैं।
- इसके शीर्ष 5 शेयरधारक हैं: जापान (15.6%), संयुक्त राज्य अमेरिका (15.6%), पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (6.4%), भारत (6.3%) और ऑस्ट्रेलिया (5.8%)।

7.9. रोहिंग्या मुद्दा

(Rohingya Issue)

सुर्खियों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार, 25 अगस्त को हुई हिंसा की नवीन घटनाओं के बाद से लगभग 400,000 से अधिक रोहिंग्या मुस्लिमों ने म्यांमार के रखाइन प्रान्त से बांग्लादेश में पलायन किया है।

सम्बन्धित तथ्य

- **21st सेंचुरी पैंगलॉन्ग कांफ्रेंस,** बर्मा के शान राज्य के **पैंगलॉन्ग शहर** में आयोजित म्यांमार सरकार और सशस्त्र जातीय समूहों के मध्य एक शांति प्रयास है।
- इस प्रकार का प्रथम कांफ्रेंस अगस्त-सितंबर **2016** में आयोजित किया गया था।
- **रोहिंग्या** इस पीस कॉन्फ्रेंस से **शामिल नहीं हुए।**

UNHCR

- संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 14 दिसंबर 1950 को *यूनाइटेड नेशन्स हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी* की स्थापना की गई थी।
- यह एजेंसी विश्वभर में **शरणार्थियों का संरक्षण और शरणार्थी समस्या के समाधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई का नेतृत्त्व और समन्वय** करने के लिए अधिदिष्ट है। इसका प्राथमिक उद्देश्य शरणार्थियों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करना है।
- **1951 का रिफ्यूजी कन्वेंशन** इसके कार्यों का आधार तैयार करने वाला **प्रमुख विधिक दस्तावेज** है। 145 देशों द्वारा इसकी अभिपुष्टि की गई है। यह शरणार्थी शब्द को परिभाषित करता है और विस्थापितों के अधिकारों की रूपरेखा तैयार करता है। इसके साथ ही, यह देशों को शरणार्थियों की रक्षा करने का विधिक दायित्व भी सौंपता है। UNHCR, 1951 के कन्वेंशन और इसके 1967 के प्रोटोकॉल के 'संरक्षक' के रूप में कार्य करता है। भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं।
- इसे राज्यविहीन लोगों की सहायता करने का अधिदेश भी प्राप्त है। 1954 का कन्वेंशन **राज्यहीन (स्टेटलेस पीपल) लोगों** की स्थिति से संबंधित है और 1961 का **कन्वेंशन ऑन द रिडक्शन ऑफ़ स्टेटलेसनेस**, राज्य हीनता (स्टेटलेसनेस) का समाधान करने के लिए प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है। भारत, इन दोनों का पक्षकार नहीं है।

7.10. कुर्दिश स्वतंत्रता के लिए जनमत संग्रह

(The Kurdish Independence Referendum)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इराक के कुर्द लोगों ने एक जनमत संग्रह में स्वतंत्रता का समर्थन किया।

- हालांकि यह जनमत संग्रह गैर-बाध्यकारी है किंतु कुर्द लोगों की अलग देश की मांग के दशकों पुराने संघर्ष में इसका प्रतीकात्मक महत्व है।
- कुर्दिस्तान, इराक के उत्तर में स्थित एक **अर्द्धराज्य (proto-state)** है। यह इस देश का एकमात्र स्वायत्त क्षेत्र है।
- यह क्षेत्र आधिकारिक रूप से **कुर्दिस्तान रीजनल गवर्नमेंट (KRG)** द्वारा शासित है। इसकी राजधानी एरबिल (Erbil) है।

VISION IAS

कुर्द कौन हैं?

- कुर्द लोगों को व्यापक रूप से विश्व के एक ऐसे **सबसे बड़े राष्ट्रीय समूह** के तौर पर पहचाना जाता है जिनका अपना कोई देश नहीं है।
- इस्लामिक स्टेट के विरुद्ध लड़ाई में कुर्द लोग इराक के महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। **पेशमर्गा बलों (इराकी कुर्दिस्तान सैन्य बल)** को अमेरिका भी **एक सहयोगी** के रूप में देखता है।

7.11. कैटालोनिया की स्वतंत्रता के लिए जनमत संग्रह

(Catalonia's Independence Referendum)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कैटालोनिया की स्वतंत्रता के लिए एक जनमत संग्रह आयोजित किया गया। इसमें 90 प्रतिशत मतदाताओं ने कैटालोनिया के **स्पेन से अलग होने** के पक्ष में मतदान किया।

पृष्ठभूमि

- कैटालोनिया आइबेरिया प्रायद्वीप के उत्तर-पूर्वी सिरे पर स्थित **स्पेन का एक स्वायत क्षेत्र** (autonomous community) है। इसमें चार प्रांत हैं: **बार्सिलोना, गिरोना, ल्लेइदा, और टैरागोना।**
- **बार्सिलोना** इसकी राजधानी व सबसे बड़ा शहर है। यह स्पेन का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर भी है।

7.12. फिलिस्तीन इंटरपोल का सदस्य बना

(Palestine Joins Interpol)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इंटरपोल ने 86वीं इंटरपोल जनरल असेंबली के दौरान फिलिस्तीन को एक सदस्य देश के रूप में स्वीकार करने के पक्ष में मतदान किया है।

इंटरपोल के बारे में

- अंतर्राष्ट्रीय अपराधिक पुलिस संगठन को आमतौर पर इंटरपोल के नाम से जाना जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग को बढ़ावा देने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
- 192 देश इसके सदस्य हैं।
- इसका मुख्यालय ल्योन, फ्रांस में है।

विवरण

- इजराइल ने इसका विरोध करते हुए तर्क दिया है कि- चूँकि फिलिस्तीन एक देश नहीं है, अत: वह इंटरपोल की सदस्यता हेतु अयोग्य है।
- इजराइल-फिलिस्तीन के मध्य हुए अंतरिम शांति समझौते के तहत, एक फिलिस्तीनी प्राधिकरण को उनके नियंत्रण वाले वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर सीमित स्व-शासन की अनुमति प्रदान की गयी थी।
- 2012 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण के पर्यवेक्षक दर्जे को, **एंटिटी (entity) से** उन्नत करके वेटिकन की भाँति **"गैर-सदस्य देश"** कर दिया था।
- इंटरपोल की सदस्यता के बाद, फिलिस्तीन इजराइली नेताओं और IDF (इजराइल डिफेंस फोर्सेस) के सैन्य अधिकारियों के विरुद्ध **अंतर्राष्ट्रीय कानूनी कार्यवाही** करने के लिए इंटरपोल का उपयोग करने में सक्षम होगा।

VISION IAS

7.13. आतंकवाद से संघर्ष हेतु इस्लामी गठबंधन

(Islamic Alliance to Fight Terrorism)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **इस्लामिक मिलिट्री अलायन्स टू फाइट टेररिज्म** (IMAFT) की प्रथम बैठक **रियाद** में संपन्न हुई।

इस्लामिक मिलिट्री अलायन्स टू फाइट टेररिज्म (IMAFT)

- यह सऊदी अरब के नेतृत्व में **40 देशों** का एक गठबंधन है, जिसमें इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के लगभग 60% सदस्य शामिल हैं। इसे वर्ष 2015 में 34 सदस्यीय समूह के रूप में स्थापित किया गया था।
- ईरान, सीरिया और इराक इस गठबंधन के सदस्य नहीं हैं। हालांकि क़तर इसका सदस्य है परन्तु उसने इस बैठक में भाग नहीं लिया। इसका कारण सऊदी अरब के नेतृत्व में क़तर का बहिष्कार किया जाना है।
- यह इस क्षेत्र में ISIS के प्रसार के विरुद्ध एक अंतर-सरकारी आतंकवाद विरोधी गठबंधन के रूप में कार्य करेगा।
- इसका लक्ष्य आतंकवाद का मुकाबला करने हेतु सैन्य सहायता प्रदान करना और सदस्य देशों के साथ मिलकर इस दिशा में समन्वित प्रयास करना है। इस प्रकार, इसका लक्ष्य इस्लाम को आतंकवाद से पृथक करना है।

OIC

- यह चार महाद्वीपों में विस्तृत 57 राज्यों की सदस्यता वाला एक अंतर-सरकारी संगठन है। भारत इसका सदस्य नहीं है।
- यह विश्व के विभिन्न लोगों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सामंजस्य को बढ़ावा देने की भावना के साथ मुस्लिम विश्व के हितों की सुरक्षा और संरक्षण का प्रयास करता है।

7.14. UAE और सऊदी अरब द्वारा नए समूह का गठन

(UAE and Saudi Arabia form New Group)

- संयुक्त अरब अमीरात (UAE) तथा सऊदी अरब ने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) से अलग जॉइंट कोऑपरेशन कमिटी नामक **नए आर्थिक एवं साझेदारी समूह** का गठन किया।
- नई कमिटी को संयुक्त अरब अमीरात तथा सऊदी अरब के मध्य सभी क्षेत्रों जैसे सैन्य, राजनीतिक, आर्थिक, व्यापार, सांस्कृतिक के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में, एक-दूसरे के हितों में सहयोग एवं समन्वय के लिए गठित किया गया है।

GCC के बारे में

- यह अरब प्रायद्वीप के छह देशों द्वारा स्थापित एक राजनीतिक एवं आर्थिक गठबंधन है जिसमें कुवैत, ओमान, बहरीन, कतर, सऊदी अरब एवं संयुक्त अरब अमीरात सम्मिलित हैं।
- यह इन छह देशों के मध्य आर्थिक, सुरक्षा, सांस्कृतिक एवं सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देता है और आपसी सहभागिता तथा क्षेत्रीय विषयों पर वार्ता करने हेतु वार्षिक सम्मेलन का आयोजन करता है।
- इसकी औपचारिक रूप से स्थापना 1981 में GCC के चार्टर पर हस्ताक्षर करके की गई थी। इसका मुख्यालय सउदी अरब की राजधानी रियाद में स्थित है। GCC के वर्तमान सभी सदस्य देशों में राजतंत्र विद्यमान है।

VISION IAS

7.15. सैन्य अभ्यास

(Military Exercises)

लामिति	भारत और सेशेल्स की थलसेना का सैन्य अभ्यास
इंटरनेशनल मल्टीलेटरल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज (Immsarex)	भारत और चीन की नौसेना का सैन्य अभ्यास
युद्धाभ्यास	भारत-अमेरिका सैन्य अभ्यास
सूर्य किरण	भारत-नेपाल सैन्य अभ्यास
अजेय वारियर	भारत-UK सैन्य अभ्यास
सम्प्रीति	भारत-बांग्लादेश सैन्य अभ्यास
हैण्ड इन हैण्ड	भारत-चीन सैन्य अभ्यास
गरुड़ शक्ति	भारत-इंडोनेशिया सैन्य अभ्यास
प्रबल दोस्तक	भारत-कजाखस्तान सैन्य अभ्यास
खंजर	भारत-किर्गिज़स्तान सैन्य अभ्यास
एकुवेरियन	भारत-मालदीव सैन्य अभ्यास
नोमेडिक एलीफैंट	भारत-मंगोलिया सैन्य अभ्यास
इंद्र	भारत-रूस सैन्य अभ्यास
अल-नगाह	भारत-ओमान सैन्य अभ्यास
शक्ति	भारत-फ्रांस सैन्य अभ्यास
सिमबेक्स-17	भारत-सिंगापुर नौसेना अभ्यास
वरुण-17	भारत-फ्रांस नौसेना अभ्यास
सुंदरबन मैत्री	भारत के सीमा सुरक्षा बल (BSF) और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बांग्लादेश की BGB) का सैन्य अभ्यास
कोंकण अभ्यास	भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी (ब्रिटेन) का सैन्य अभ्यास

VISION IAS

विनबैक्स	भारत और वियतनाम सेना का सैन्य अभ्यास
मालाबार नौसेना अभ्यास	भारत, जापान और अमेरिका का सैन्य अभ्यास
CORPAT (कॉरपैट)	भारतीय और इण्डोनेशियाई नौसेना का सैन्य अभ्यास
सियाम-भारत (SIAM BHARAT)	भारतीय वायु सेना और रॉयल थाईलैंड एयर फाॅर्स का सैन्य अभ्यास
स्लिनेक्स (SLINEX)	भारत और श्री लंका नौसेना अभ्यास

VISION IAS

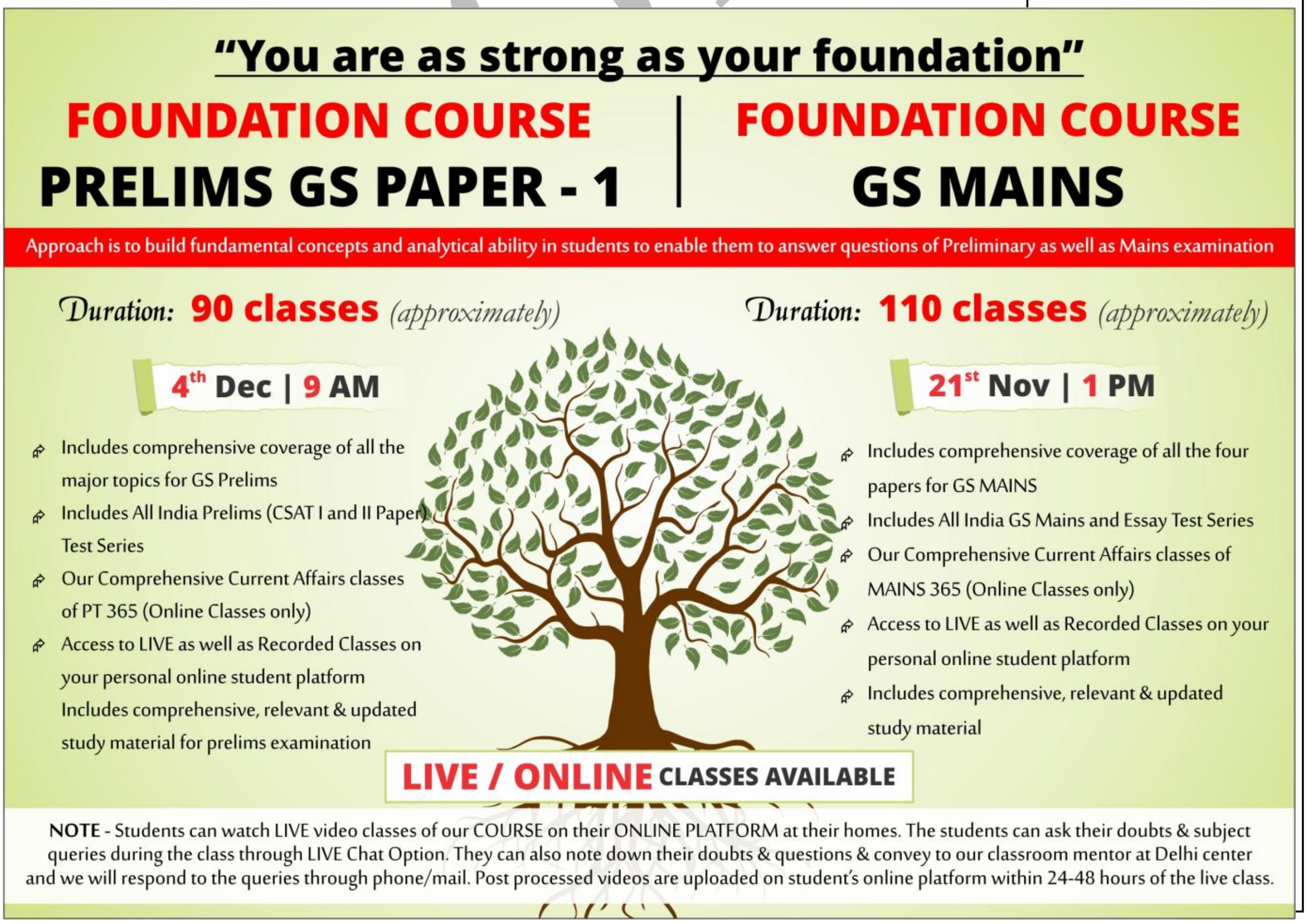

8. बहुपक्षीय व्यापार

(Multilateral Trade)

8.1. क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी

(Regional Comprehensive Economic Partnership-RCEP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

तकनीकी मामलों पर आधारित *RCEP ट्रेड नेगोशिएटिंग कमिटी* की बैठक का 19वाँ दौर हैदराबाद में आयोजित किया गया।

RCEP के बारे में

- RCEP को **10 सदस्यीय आसियान ब्लॉक और उसके छह FTA भागीदारों** - भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच एक मुक्त व्यापार समझौते के रूप में जाना जाता है।
- समझौता अस्तित्व में आने के बाद विश्व का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता होगा|
- RCEP 'मार्गदर्शक सिद्धांत और उद्देश्यों' में कहा गया है कि "वस्तु व्यापार, सेवा व्यापार, निवेश और अन्य क्षेत्रों में वार्ताएँ एक व्यापक और संतुलित परिणाम सुनिश्चित करने के लिए समानांतर रूप से आयोजित की जाएँगी।"

8.2. वन बेल्ट वन रोड (OBOR) समिट

[One Belt One Road (OBOR) Summit]

चीन ने दो दिवसीय OBOR शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में चीन ने अपने व्यापारिक मार्गों के नेटवर्क- **वन बेल्ट, वन रोड** (OBOR) का निर्माण करने की योजनाओं का प्रदर्शन किया। OBOR एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और यूरोप को जोड़ेगा।

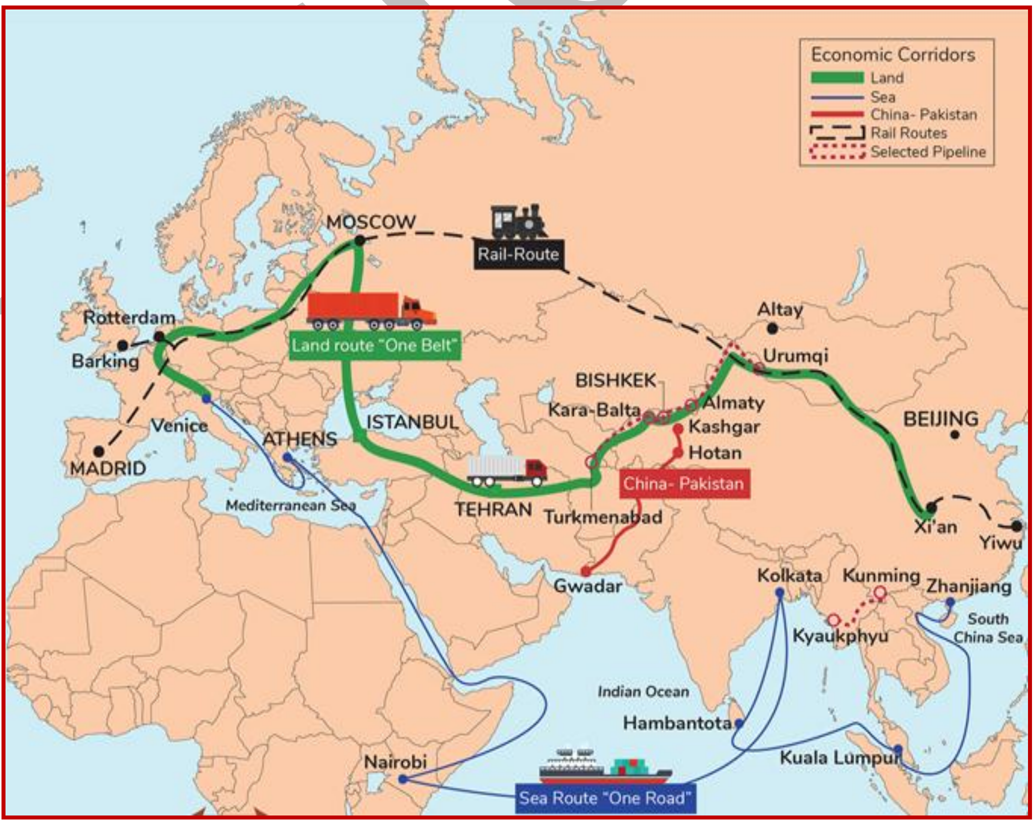

- बीजिंग में संपन्न हुए *वन बेल्ट, वन रोड* या *बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI)* फोरम में देश या सरकार के 29 प्रमुखों और लगभग 100 देशों के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया।
- भूटान को छोड़कर, भारत के सभी पड़ोसियों ने इस शिखर सम्मेलन के लिए उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजे थे।

8.3. बिम्सटेक के 20 वर्ष

(20 Years of BIMSTEC)

बे ऑफ़ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन (बिम्सटेक) द्वारा 06 जून, 2017 को अपनी स्थापना की 20वीं वर्षगांठ मनाई गई।

बिम्सटेक के बारे में

बिम्सटेक की **स्थापना** लगभग दो दशक पूर्व, **06 जून, 1997** को हुई थी।

- वर्तमान में बिम्सटेक में **भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड** शामिल हैं।
- बिम्सटेक का स्थायी सचिवालय 2014 में **ढाका** में स्थापित किया गया।
- मूल रूप से इसे **'BIST-EC'** (बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड - आर्थिक सहयोग) कहा जाता था।
- दिसंबर 1997 में म्यांमार को इस संगठन में शामिल करने के बाद इसका नाम परिवर्तित कर **'BIMST-EC'** कर दिया गया।
- फरवरी 2004 में नेपाल और भूटान को शामिल करते हुए इस संगठन का और अधिक विस्तार किया गया।
- जुलाई 2004 में बैंकाक में इस संगठन का नाम पुनः परिवर्तित कर **BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation)** कर दिया गया।
- बिम्सटेक एक क्षेत्र-आधारित सहयोगात्मक संगठन है जिसमें मूल रूप से सहयोग के छह क्षेत्रों यथा व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन और मत्स्य पालन के लिए गठित किया गया था।
- 2008 में इसमें आठ अन्य क्षेत्रों कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, आतंकवाद, पर्यावरण, संस्कृति, लोगों के मध्य आपसी संपर्क और जलवायु परिवर्तन को शामिल किया गया।

8.3.1 बिम्सटेक ड्राफ्ट कोस्टल शिपिंग एग्रीमेंट

(BIMSTEC Draft Coastal Shipping Agreement)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, बिम्सटेक (बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन) के सदस्य देशों ने क्षेत्र में तटीय नौवहन (कोस्टल शिपिंग) को बढ़ावा देने हेतु रूपरेखाओं पर वार्ता करने के लिए नई दिल्ली में बैठक की।

अन्य सम्बंधित तथ्य

- बिम्सटेक, कोस्टल शिपिंग एग्रीमेंट का ड्राफ्ट भारत सरकार के नौवहन मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया था।
- इस समझौते का उद्देश्य सदस्य देशों के मध्य व्यापार को बढ़ावा देने हेतु, इस क्षेत्र में तटीय नौवहन (कोस्टल शिपिंग) को सुगम बनाना है।

VISION IAS

- जब यह समझौता सदस्य देशों द्वारा अंगीकार कर लिया जाएगा तथा इसका क्रियान्वयन प्रारम्भ होगा, सदस्य देशों के मध्य बड़ी संख्या में मालवाहक जहाजों (कार्गो) का आवागमन लागत प्रभावी, पर्यावरण अनुकूल तथा तीव्र तटीय नौवहन वाले मार्गों के माध्यम से संभव हो जाएगा।

8.4. G-20

(G-20)

सुर्खियों में क्यों?

- G-20 शिखर सम्मेलन-2017, हैम्बर्ग, जर्मनी में आयोजित किया गया। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन की थीम थी: '***शेपिंग ऐन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड***'।

पृष्ठभूमि

- G-20 में यूरोपीय संघ एवं 19 अन्य देश सम्मिलित हैं।
- G-20 सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 80% तथा विश्व की सम्पूर्ण जनसंख्या के लगभग दो तिहाई का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- G-20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट की परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने हेतु हुई थी। तब से इसके सदस्यों द्वारा आर्थिक और वित्तीय सहयोग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए वार्षिक बैठक का आयोजन किया जाता रहा है।
- इसके सदस्य देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका तथा यूरोपीय संघ शामिल हैं।

8.5. ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप-11

(Trans-Pacific Partnership-11)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वियतनाम में APEC शिखर सम्मेलन के दौरान, प्रशांत महासागर के 11 तटीय देशों ने अमेरिका द्वारा अपनी सदस्यता वापस लेने के बावजूद ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (TPP) को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है।

विवरण

- इस समझौते को अब एक नया नाम **'कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (CPATPP)'** दिया गया है।
- अभी तक इस समझौते की अभिपुष्टि नहीं की गई है।
- TPP अमेरिका और 11 अन्य प्रशांत तटीय देशों अर्थात् ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनेई, वियतनाम, जापान, कनाडा, मेक्सिको, पेरू और चिली के मध्य एक मुक्त व्यापार समझौता था। इस पर 2016 में हस्ताक्षर किए गए थे। हालांकि, संयुक्त राज्य अमेरिका बाद में इससे बाहर निकल गया।

8.6. एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक

(AIIB)

सुर्ख़ियों में क्यों?

एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) ने भारत के लिए बुनियादी सुविधाओं से संबंधित परियोजनाओं हेतु 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है।

VISION IAS

AIIB के बारे में

- AIIB, 84 देशों की सदस्यता वाला एक बहु-पक्षीय विकास बैंक है।
- इसका मुख्यालय बीजिंग में है।
- AIIB की स्थापना का प्रस्ताव बाली में 2013 के एपेक (APEC) शिखर सम्मेलन में रखा गया था और इसका संचालन जनवरी, 2016 से प्रारंभ हुआ।
- चीन, भारत, रूस और जर्मनी क्रमशः 26.06%, 7.5%, 5.93% और 4.5% की हिस्सेदारी के साथ बैंक के चार सबसे बड़े शेयरधारक हैं।

भारत के लिए महत्व

- भारत को ऊर्जा, सड़क, आवास, शहरी विकास और अन्य अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में भारी निवेश की आवश्यकता है।
- AIIB से ऋण लेना लाभकारी है क्योंकि :
  - यह पांच वर्ष के ग्रेस पीरियड सहित दीर्घकालिक पुनर्भुगतान हेतु 1.0-1.5 प्रतिशत ब्याज भारित करता है।
  - बैंक उदार शर्तों पर ऋण प्रदान करता है जिससे उस धन के उपयोग के बारे में सरकारें स्वयं निर्णय कर सकती हैं।
- मुंबई मेट्रो, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती का विकास तथा पश्चिम बंगाल में सिंचाई नेटवर्क सहित विभिन्न परियोजनाओं में AIIB के निवेश के परिणामस्वरूप भारत बैंक के शीर्ष उधारकर्ता के रूप में उभरा है।

8.7. न्यू डेवलपमेंट बैंक

(New Development Bank)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, भारत सरकार ने मरुस्थलीय क्षेत्र में राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना के वित्तपोषण हेतु NDB के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- यह परियोजना 1958-63 के दौरान निर्मित 678 किमी लंबी इंदिरा गांधी नहर प्रणाली को पुनर्स्थापित करेगी।

NDB के बारे में

- NDB ब्रिक्स देशों की एक पहल है जिसके लिए 2014 में फोर्टालिज़ा में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान समझौते पर हस्ताक्षर हुए और यह 2015 में उफ़ा (ufa) शिखर सम्मेलन में एक वैधानिक इकाई के रूप में अस्तित्व में आया।
- पाँच सदस्य देशों की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है।
- NDB का मुख्य उद्देश्य ब्रिक्स देशों में अवसंरचना और सतत विकास के लिए संसाधनों की व्यवस्था करना है।

VISION IAS

8.8 मर्कोसुर

(MERCOSUR)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, दक्षिण अमेरिका के व्यापार संगठन मर्कोसुर ने वेनेजुएला को अनिश्चित काल तक के लिए अपनी सदस्यता से निलंबित कर दिया है।

मर्कोसुर के बारे में

- यह 1991 में स्थापित एक आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। इस संगठन में 5 पूर्ण संप्रभु सदस्य देश (वेनेज़ुएला के निलंबन से पूर्व) अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे, उरुग्वे और वेनेजुएला शामिल हैं।
- इससे सम्बद्ध देश बोलीविया, चिली, पेरू, कोलम्बिया, इक्वाडोर और सूरीनाम हैं तथा पर्यवेक्षक देश न्यूजीलैंड और मेक्सिको हैं।
- इसका गठन यूरोपीय समुदाय की रोम संधि की पद्धति पर **एसन्शियन संधि (Treaty Of Asunción)** के माध्यम से किया गया था।
- यह शुल्क मुक्त इंटर-मर्कोसुर व्यापार की अनुमति प्रदान करता है और गैर-सदस्य देशों पर समान बाह्य शुल्क (कॉमन एक्सटर्नल-टैरिफ- 0 से 20 प्रतिशत) आरोपित करता है।
- मर्कोसुर से निष्कासन का कोई प्रावधान नहीं है। अतः, वेनेजुएला का निलंबन वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने के लिए किया गया।

VISION IAS

इस क्षेत्र के अन्य प्रमुख समूह

- **UNASUR-** यूरोपीय संघ के बाद गठित यूनियन ऑफ़ साउथ अमेरिकन नेशंस एक अंतर-सरकारी निकाय है। यह समूह सदस्य देशों के राजनेताओं के मध्य वार्ता हेतु एक संघ के रूप में कार्य करता है और अंतर-क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने हेतु एक मंच के रूप में भी कार्य करता है।
- **एंडियन (Andean) समुदाय -** यह एक कस्टम यूनियन है जिसमें दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया, कोलंबिया, इक्काडोर और पेरू शामिल हैं।
- **सिलेक -** कम्युनिटी ऑफ़ लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन स्टेट्स (CELAC), 33 लैटिन अमेरिकी और कैरिबियन राज्यों का एक क्षेत्रीय गुट है।

8.9 इब्सा (IBSA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने 8वीं **इब्सा ट्राईलैटरल मिनिस्टीरियल कमीशन मीटिंग** में इब्सा ट्रस्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए।

इब्सा फण्ड

- IBSA फैसिलिटी फॉर हंगर एंड पॉवर्टी एलिविएशन (IBSA Fund), इब्सा का एक अग्रणी और फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इब्सा की स्थापना 2004 में **ब्राजीलिया घोषणा** (2003) द्वारा की गयी थी।
- यह **स्पेशल यूनिट फॉर साउथ- साउथ कोऑपरेशन** द्वारा समर्थित और निर्देशित है और इसे **यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम (UNDP)** द्वारा आयोजित किया गया है।
- फण्ड एक **मांग प्रेरित दृष्टिकोण** पर कार्य करता है जिसमें फंड द्वारा अनुरोध करने वाली सरकारों को सहायता UNDP और राष्ट्रीय सरकारों के साथ साझेदारी के माध्यम से प्रदान की जाती है।

स्पेशल यूनिट फॉर साउथ- साउथ कॉपरेशन

- इसे 1978 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था और इसका आयोजन UNDP द्वारा किया जाता है।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य यूएन के साथ सहयोग तथा दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना, समन्वय करना एवं समर्थन प्रदान करना है।

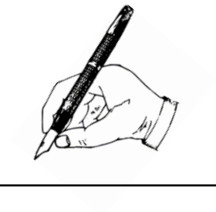

8.10. ईस्टर्न इकॉनोमिक फोरम

(Eastern Economic Forum)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारत ने रूस के व्लादिवोस्तोक में सम्पन्न हुए तीसरे ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में भाग लिया था।
- यह एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसका आयोजन 2015 से प्रति वर्ष रूस के व्लादिवोस्तोक में किया जाता है। इसका उद्देश्य रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्रों में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना है।

VISION IAS

9. विविध

(MISCELLANEOUS)

9.1. भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग

(Indian Technical and Economic Cooperation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) के तहत भारत दक्षिणी विश्व में विकासशील देशों को क्षमता-निर्माण एवं तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है।

ITEC के बारे में

- इसकी स्थापना भारत सरकार के द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रम के रूप में 15 सितम्बर 1964 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल के एक निर्णय द्वारा की गई थी।
- हाल के वर्षों में, इसकी गतिविधियाँ क्षेत्रीय और बहुपक्षीय संगठनों तथा सहयोग समूहों जैसे एफ्रो-एशियन रुरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (AARDO), पैन अफ्रीकन पार्लियामेंट, कैरेबियन कम्युनिटी (CARICOM) आदि के साथ भी सम्बद्ध हैं।
- DPA-II विदेश मंत्रालय का विकास भागीदार प्रशासन विभाग (DPA) सभी क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के संचालन हेतु नोडल विभाग है।
- इस कार्यक्रम के पांच घटक हैं: भारत में ITEC प्रत्याशियों का प्रशिक्षण; किसी देश की विशेष आवश्यकताओं या परियोजनाओं हेतु परियोजना एवं व्यवहार्यता अध्ययन तथा परामर्शी सेवाएँ; विदेशों में जैसी भी आवश्यकता हो उस क्षमता के भारतीय विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति तथा आपदा राहत हेतु सहायता।
- ITEC कार्यक्रम, अपने सहयोगी कार्यक्रम SCAAP (स्पेशल कामनवेल्थ अफ्रीकन असिस्टेंस प्रोग्राम) कार्यक्रम और कोलम्बो प्लान की तकनीकी सहयोग योजना के साथ, दक्षिण-दक्षिण सहयोग में भारत की भूमिका और योगदान का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

संबंधित तथ्य

कोलम्बो प्लान

- कोलम्बो (श्रीलंका) में जनवरी 1950 में आयोजित राष्ट्रमंडल सम्मेलन (कॉमनवेल्थ कांफ्रेंस) में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक सहयोग एवं सामाजिक विकास हेतु कोलम्बो प्लान पर विचार किया गया तथा 1 जुलाई 1951 को इसे प्रारंभ किया गया।
- इसकी स्थापना ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और यूनाइटेड किंगडम द्वारा की गई थी। वर्तमान में गैर-राष्ट्रमंडल देशों और क्षेत्रीय समूहों से संबंधित देशों जैसे आसियान (एसोसिएशन ऑफ़ साउथ-ईस्ट एशियन नेशंस) और दक्षेस (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) सहित 26 सदस्य देशों में इसका विस्तार किया गया है।
- इसका उद्देश्य अपने सदस्य देशों का सामाजिक और आर्थिक विकास करना है, जो **स्वयं-सहायता और पारस्परिक-सहयोग** की एक सहभागितापूर्ण संकल्पना पर आधारित है।

9.2. भारत का सॉफ्ट पावर

(India's Soft Power)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विदेश मंत्रालय ने भारत की सॉफ्ट पावर आउटरीच की प्रभावशीलता को मापने और कूटनीति के क्षेत्र में भारत के सॉफ्ट पावर और उसके ठोस परिणामों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए "सॉफ्ट पावर मैट्रिक्स" विकसित करने का निर्णय लिया है।

VISION IAS

सॉफ्ट पावर

- यह किसी देश द्वारा अपने लक्ष्यों के अनुरूप विचारों की समानता से अन्य राष्ट्रों को सहमत करने की क्षमता है।
- यह तीन प्रमुख संसाधनों यथा- किसी देश की संस्कृति, उसके राजनीतिक मूल्य और उसकी विदेश नीति से प्राप्त होता है।

हार्ड पावर

- यह किसी देश अथवा राजनीतिक संस्था द्वारा अन्य देशों के व्यवहार को आर्थिक प्रोत्साहन या सैन्य शक्ति के प्रयोग के माध्यम से प्रभावित करने की क्षमता है।
- इसमें आर्थिक प्रतिबंध, व्यापार समझौते, सैन्य हस्तक्षेप तथा सैन्य या आर्थिक दबाव सम्मिलित हैं।

भारत की सॉफ्ट पावर संबंधी अभिव्यक्तियाँ

- भारत के सॉफ्ट पावर के संवर्द्धन हेतु **भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद** (ICCR) प्रमुख उत्तरदायी सरकारी नोडल एजेंसी है।
- **अतुल्य भारत अभियान:** इसे भारत के ब्रांड निर्माण और देश की एक विशिष्ट पहचान बनाने के लिए 2002 में पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से प्रारंभ किया गया था।
- 2006 में, विदेश मंत्रालय ने विदेशों में भारत की पहुँच को बढ़ावा देने के लिए एक **सार्वजनिक कूटनीति प्रभाग** की स्थापना की।
- **प्राचीन औषधि प्रणाली और योग** विकसित देशों में भी तेजी से लोकप्रिय हो चुके हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का वैश्विक आयोजन भी हमारी सॉफ्ट पावर आउटरीच की एक प्रभावशाली अभिव्यक्ति है। इसके अतिरिक्त, आयुष दलों को कोलंबिया, रीयूनियन आइलैंड और इराक भेजा गया।
- विदेशी व्यापार हितों तथा विदेशी सहायता एवं विकास कार्यक्रम के साथ भारतीय प्रवासियों तक पहुंचने और संपर्क स्थापित करने के प्रयास किये जा रहे हैं।
- न केवल युवाओं को जोड़ने बल्कि "नेशन-ब्रांड" के रूप में भारत के निर्माण हेतु भी **सोशल मीडिया और IT का उपयोग** हो रहा है।
- मेक इन इंडिया के लिए अभियान, विदेशों में व्यापार मेलों तथा रायसीना वार्ता जैसे कार्यक्रमों के आयोजन ने भी विश्व में सॉफ्ट पावर के रूप में भारत की उपस्थिति को मज़बूत बनाया है।
- भारत ने पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ पारंपरिक संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए **प्रोजेक्ट मौसम और स्पाइस रूट परियोजनाओं** तथा सिल्क रोड जैसे प्राचीन व्यापारिक मार्ग (जिसमें प्राचीन एशियाई महाद्वीप और यूरोप के कई हिस्से सम्मिलित हैं) का शुभारंभ किया है।
- भारत ने अपने सॉफ्ट पावर का प्रयोग बॉलीवुड के बढ़ते प्रभाव, विदेश मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाने वाली शैक्षिक छात्रवृत्ति, प्राकृतिक आपदाओं के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में सहायता करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने के माध्यम से भी किया है।

9.3. भारतीय डायस्पोरा की संख्या विश्व में सर्वाधिक

(Indian Diaspora Largest in the World)

सुर्ख़ियों में क्यों

वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2018 के अनुसार अन्य देशों के प्रवासियों की तुलना में भारतीय प्रवासियों (डायस्पोरा) की संख्या विश्व में सर्वाधिक है।

इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन (IOM)

- इसकी स्थापना 1951 में हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा (स्विट्ज़रलैंड) में स्थित है।
- 2016 में यह संयुक्त राष्ट्र का एक संबद्ध संगठन बना।
- यह प्रवासन के क्षेत्र में कार्यरत एक अंतरसरकारी संगठन है जो सभी के लाभ हेतु मानवोचित और व्यवस्थित प्रवासन को बढ़ावा देता है।
- भारत 2008 में इसका सदस्य देश बना।

VISION IAS

अन्य संबंधित तथ्य:

- इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन द्वारा प्रकाशित **'वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट (2018)'** के अनुसार, भारतीय डायस्पोरा **विश्व की कुल प्रवासी जनसंख्या** का 6% है।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की जनसंख्या का लगभग 72% भाग 20 से 64 वर्ष के मध्य की **कार्यशील आयु वर्ग** से सम्बंधित है।

प्रवासन को अभिशासित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन

- **शरणार्थियों की स्थिति (स्टेटस ऑफ़ रिफ्यूजीज़) से संबंधित 1951 का कन्वेंशन** और इसका 1967 का प्रोटोकॉल (शरणार्थी समझौता) शरणार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करने हेतु फ्रेमवर्क उपलब्ध कराते हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध कन्वेंशन (UNCTOC) का **पलेर्मो प्रोटोकॉल** मानव दुर्व्यापार व तस्करी से संबंधित है।
- प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों और उनके परिवार के सदस्यों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन (ICRMW), 1990

GULF TOP DESTINATION

Top 7 destination countries for global diaspora

	Country	No of international migrants (in million)
1	US	46.6
2	Germany	12.0
3	Russia	11.6
4	Saudi Arabia	10.0
5	UK	8.5
6	UAE	8.0
7	Canada	7.8

Top 7 countries origin for global diaspora

	Country	No of international migrants (in million)
1	India	15.6
2	Mexico	12.3
3	Russia	10.6
4	China (+Hong kong)	10.5
5	Bangladesh	7.2
6	Pakistan	5.9
7	Ukraine	5.8

Home away from: Where Indians go

Rank	Country	No of Indians (in million)	% of Total Indian diaspora
1	UAE	3.5	22.4
2	US	2.0	12.8
3	Saudi Arabia	1.9	12.1
4	Kuwait	1.0	6.4
5	Oman	0.7	4.5
6	UK	0.7	4.5
7	Qatar	0.6	3.8

Total 15.6 million

9.4. भारतीय समुदाय कल्याण कोष

(Indian Community Welfare Fund [ICWF])

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय समुदाय कल्याण कोष (**ICWF**) के दिशा-निर्देशों में संशोधनों को मंजूरी प्रदान की है।

विवरण

- इसे 2009 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य संकट और आपातकाल के समय, परीक्षण के आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त मामलों में प्रवासी भारतीय नागरिकों की सहायता करना है।
- संशोधित दिशा-निर्देश तीन प्रमुख क्षेत्रों, अर्थात् - संकटग्रस्त स्थितियों, सामुदायिक कल्याण संबंधी गतिविधियों और राजनयिक सेवाओं में सुधार करके प्रवासी भारतीय नागरिकों की सहायता, को कवर करेंगे।

- इससे अपेक्षित है कि यह प्रवासी भारतीय नागरिकों द्वारा सहायता के अनुरोधों के त्वरित समाधान हेतु विदेशों में स्थित इंडियन मिशन और पोस्ट्स को अधिक लचीलापन प्रदान करेगा।

9.5. प्रवासी सांसद सम्मेलन

(PIO Parliamentarian Conference)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रवासी भारतीय दिवस (PBD) के अवसर पर प्रथम प्रवासी सांसद सम्मेलन का आयोजन किया गया।

विवरण

- भारतीय मूल के व्यक्ति (पर्सन्स ऑफ़ इंडियन ओरिजिन: PIOs) (और ओवरसीज सिटीजन ऑफ़ इंडिया: OCI) भारतीय नागरिक नहीं हैं, किन्तु ये वे लोग हैं जो भारत से जुड़े रहना चाहते हैं तथा भारत के साथ अत्यधिक घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहते हैं।
- इसी कारण से भारत सरकार उन्हें उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप PIO कार्ड तथा OCI कार्ड जारी करती है। सरकार उनके PIO कार्डों को OCI कार्डों में परिवर्तित करने के विचार को प्रोत्साहन दे रही है।

PIO- एक व्यक्ति या उसका कोई पूर्वज, जो भारतीय नागरिक था और जो वर्तमान में किसी अन्य देश की नागरिकता/राष्ट्रीयता धारण किए हुए है अर्थात् वह विदेशी पासपोर्ट धारक है।
OCI- एक व्यक्ति जो नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7A के तहत ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ़ इंडिया कार्डधारक के रूप में पंजीकृत है।

PIO के सापेक्ष OCI कार्ड के लाभ

- भारत के लिए आजीवन एकाधिक प्रवेश वीज़ा (मल्टीपल एंट्री वीज़ा)।
- भारत में किसी भी अवधि तक रहने के लिए विदेशी पंजीकरण अधिकारी (FRO) से पंजीकरण कराने से छूट।
- भारत में NRIs की भांति विशेष बैंक खाता खोलना और निवेश करना।
- गैर-कृषि सम्पत्ति की खरीद और स्वामित्व अधिकारों का उपयोग।
- NRIs की भांति आर्थिक, वित्तीय और शैक्षणिक लाभ तथा बच्चों को गोद लेने की अनुमति भी प्राप्त है।

PIO और OCI दोनों कार्डधारकों पर आरोपित प्रतिबन्ध

- मतदान नहीं कर सकते, सरकारी पद धारण नहीं कर सकते या कृषि भूमि अथवा खेत नहीं खरीद सकते।
- किसी सरकारी नौकरी हेतु आवेदन नहीं कर सकते तथा अनुमति के बिना प्रतिबंधित क्षेत्रों की यात्रा नहीं कर सकते।

9.6. समीप

(SAMEEP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में विदेश मंत्रालय द्वारा **समीप (SAMEEP) कार्यक्रम** का शुभारम्भ किया गया।

समीप (SAMEEP) कार्यक्रम

- **छात्र और विदेश मंत्रालय की सहभागिता कार्यक्रम - SAMEEP (student and MEA Engagement program)** भारतीय छात्रों को विदेश मंत्रालय की कार्य-पद्धति के विषय में परिचित कराने तथा भारत की वैश्विक संलग्नता व इसकी विदेश नीति को ज़मीनी स्तर तक पहुँचाने के लिये एक **आउटरीच प्रोग्राम** है।

VISION IAS

- इस कार्यक्रम की प्रकृति स्वैच्छिक है जिसके अंतर्गत विदेश मंत्रालय के अवर-सचिव तथा उससे ऊपर के अधिकारी अपने गृह नगरों, शहरों तथा जिन विद्यालयों/विश्वविद्यालयों से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है (मातृसंस्था/Alma Maters), में जाकर जन-सामान्य को विदेश नीति से अवगत कराएँगे और करियर विकल्प के रूप में कूटनीति में उनकी रुचि बढ़ाएँगे।

9.7. रायसीना डायलॉग

(Raisina Dialogue)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा **नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के तीसरे संस्करण** का उद्घाटन किया गया।

रायसीना डायलॉग के विषय में

- यह वैश्विक समुदाय के समक्ष सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण मुद्दों के समाधान हेतु एक बहुपक्षीय सम्मेलन है जिसका आयोजन वार्षिक रूप से 2016 से नई दिल्ली में किया जा रहा है। यह **भू-राजनीति एवं भू-आर्थिक** विषयों पर भारत के एक प्रमुख सम्मेलन के रूप में उभरा है।
- इस सम्मेलन की मेजबानी एक स्वतंत्र थिंक-टैंक **आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन** द्वारा **विदेश मंत्रालय** के सहयोग से की गई।
- इस वर्ष की थीम **'मैनेजिंग डिस्रप्टिव ट्रांजीशन: आइडिया, इन्स्टिट्यूशन एंड इडियम्स'** (Managing Disruptive Transitions: Ideas, Institutions and Idioms) है।

9.8. शांगरी-ला वार्ता

(Shangri-La Dialogue)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 1 जून 2018 को 17वीं शांगरी-ला वार्ता को संबोधित करने की संभावना है।

शांगरी-ला वार्ता के संबंध में

- शांगरी-ला वार्ता या **IISS एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन** को 2002 में ब्रिटिश थिंक टैंक **द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज (IISS)** और **सिंगापुर सरकार** द्वारा स्थापित किया गया था।
- यह एक विशिष्ट "ट्रैक वन" सम्मेलन है, जिसमें चीन और अमेरिका सहित 28 एशिया-प्रशांत देशों के रक्षामंत्री, अधिकारी और सेना प्रमुख वार्षिक रूप से भाग लेते हैं।
- इसका नाम इसके सम्मेलन स्थल (सिंगापुर के शांगरी-ला होटल) से लिया गया है।
- बहरीन में **IISS मनामा वार्ता** भी उतनी ही महत्वपूर्ण एक अन्य अंतर्राष्ट्रीय बैठक है, जिसका आयोजन मध्य पूर्व में किया गया। इसमें सरकार के मंत्रियों ने भाग लिया था।

9.9.ग्लोबल कमीशन ऑन द फ्यूचर ऑफ़ वर्क

(Global Commission on the Future of Work)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- ILO द्वारा **ग्लोबल कमिशन ऑन द फ्यूचर ऑफ वर्क** आरम्भ किया गया।

विवरण

- इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पादन व रोजगार की प्रकृति में होने वाले परिवर्तन को समझने तथा उसके प्रति प्रभावी ढंग से अनुक्रिया करना है। यह ILO के फ्यूचर ऑफ़ वर्क इनिशिएटिव का **दूसरा चरण** है।

VISION IAS

- 2016 और 2017 के मध्य आयोजित फ्यूचर ऑफ वर्क इनिशिएटिव के **पहले चरण में** सरकारों, नियोक्ताओं और कर्मचारी संगठनों के बीच राष्ट्रीय संवाद सम्मिलित था।
- इसका उद्देश्य 21वीं सदी में ILO के सामाजिक न्याय अधिदेश की पूर्ति हेतु **विश्लेषणात्मक आधार प्रदान करना है।** यह कार्य, विश्व के समक्ष **विद्यमान चुनौतियों की पहचान** करके तथा भविष्य में उनसे निपटने के तरीकों के संबंध में **अनुशंसाएं** प्रदान करके किया जाएगा।
- इसका प्रयोजन राष्ट्रीय वार्ताओं से प्राप्त परिणामों और इसके द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली अन्य आगतों (inputs) का परीक्षण करना होगा। आयोग अपनी रिपोर्ट और अनुशंसाओं को वर्ष 2018 में प्रकाशित करेगा।

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS